2 COMMITTEE OF PRIVILEGES

FOURTEENTH LOK SABHA

SECOND REPORT

(*Presented to Speaker on* 22 *March*, 2006)
(*Laid on the Table on* 18 *April*, 2006)

सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

March, 2006/*Phalguna*, 1927*(Saka)*

SERVER 4 \ REPORT \ 204LS \ 204LSP.p65

COMMITTEE OF PRIVILEGES

(FOURTEENTH LOK SABHA)

SECOND REPORT

(*Presented to Speaker on* 22 *March,* 2006)
(*Laid on the Table on* 18 *April,* 2006)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

March, 2006/*Phalguna,* 1927*(Saka)*

P & E BRANCH NO. 2

Price: Rs. 60.00

© 2006 BY LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rule 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Eleventh Edition) and Printed by Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110002.

CONTENTS

	Page
Personnel of the Committee	(iii)
Report	1
Minutes of Sittings of Committee	13
Minutes of Evidence	21
Appendices	51

PERSONNEL OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES
(14TH LOK SABHA)

Shri V. Kishore Chandra S. Deo — *Chairman**

MEMBERS

2. Shri Ananthkumar Hegde
3. Shri A. Krishnaswamy
4. Shri Nitish Kumar
5. Shri Varkala Radhakrishnan
6. Shri Rajendrasinh Rana
7. Shri D. Vittal Rao
8. Shri Kishan Singh Sangwan
9. Shri Iqbal Ahmed Saradgi
10. Shri Bijendra Singh
11. Shri Beni Prasad Verma
12. Shri Virendra Kumar
13. Shri Devendra Prasad Yadav
14. Shri Harihar Swain
15. Shri L. Ganesan

SECRETARIAT

1. Shri V.K. Sharma — *Joint Secretary*
2. Shri Ravindra Garimella — *Under Secretary*
3. Shri Ashok Sajwan — *Under Secretary*

* Appointed *w.e.f.* 9.3.2006 *vice* Shri Pawan Kumar Bansal resigned from the Committee.

SECOND REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES
(FOURTEENTH LOK SABHA)

I. Introduction and Procedure

I, the Chairman of the Committee of Privileges, having been authorized by the Committee to submit the Report on their behalf, present this their Second Report to the Speaker on the question of privilege against the SHO, Chainpur Police Station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing Shri Lal Muni Chaubey, MP from attending the sitting of the House during the Thirteenth Lok Sabha. This matter which remained pending before the Committee of Privileges, Thirteenth Lok Sabha due to dissolution of Lok Sabha, was re-referred to the Committee of Privileges by the Speaker on a request being made by the member.

2. The Committee held 5 sittings. The relevant minutes of these sittings form part of the Report and are appended hereto.

3. At their first sitting held on 9 March, 2005, the Committee considered the matter and desired that a brief of the evidence on record might be prepared and circulated to members of the Committee for their consideration.

4. At their second sitting held on 9 June, 2005, the Committee after taking into account evidence on record felt that there was no necessity for taking evidences of the member and the Superintendent of Police, Kaimur, *de novo* or of any other additional person in the matter. The Committee, however, decided that before coming to any conclusion in the matter, Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station might be heard once again. The Committee accordingly directed that Shri Ajay Prasad, be again asked to appear before the Committee for oral evidence on 5 July, 2005.

5. At their third sitting held on 5 July, 2005, the Committee examined on oath Shri Ajay Prasad, SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar.

6. At their fourth sitting held on 27 September, 2005, the Committee felt that in the light of regrets expressed by the SHO, Chainpur Police Station to Shri Chaubey personally as also before the Committee, the matter may be closed. The Committee, accordingly, directed the Secretariat to prepare a draft Report for their consideration.

7. At their fifth sitting held on 20 January, 2006, the Committee considered the draft Report and adopted it. The Committee authorised the Chairman to present the same to the Speaker, Lok Sabha and also to the House.

II. Facts of the case

8. On 27 February, 2003[1] (during Thirteenth Lok Sabha) Shri Lal Muni Chaubey, MP gave a notice of question of privilege alleging that when he was coming to Delhi

---

[1] Pl. See Appendix I.

to attend the sitting of the House from Kaimur District of Bihar, the SHO, Chainpur Police Station, Kaimur (Bihar) at the instance of the Superintendent of Police, Kaimur obstructed him, due to which he could not attend the sitting of the House on 20 February, 2003.

9. The member in his notice alleged that he was staying in Bhabhua and had called for a vehicle to take him from Bhabhua to Babatpur Airport from where he had to catch a flight to Delhi. When the said vehicle reached Chainpur Police Station, it was obstructed by the police jeep of Chainpur Police Station which moved ahead very slowly and did not allow the vehicle (Tata Sumo) to pass by for two hours, due to which the said vehicle could not reach to pick him up in time and as a result he could not reach Babatpur on time and thereby missed his flight for Delhi. The police officials also misbehaved with his son who was in the vehicle. The member alleged that all this was done by the SHO at the instance of the Superintendent of Police, Kaimur.

10. The member also raised[2] the matter in the House during 'Zero Hour' on 3, 6, 10 and 13 March, 2003.

11. The Ministry of Home Affairs *vide* their communication dated 13 March, 2003 forwarded the factual report[3] received from the State Government of Bihar in the matter.

12. The Superintendent of Police, Kaimur, Bihar in his factual report[4] stated that on 20 February, 2003 he was in Bhabhua District and had no information regarding the visit of Shri Lal Muni Chaubey, MP in his home district Kaimur. He further stated that the member spoke to him on 25 February, 2003 and informed him about the incident. He immediately obtained the information from the officials present in the Police Station and the same was conveyed to the member on the very next day. He further stated that the allegation made by the member in his notice that rude behaviour was meted out to him at the instance of the Superintendent of Police, Kaimur is baseless, misleading and without facts.

13. SHO of Chainpur Police station in his factual report[5], stated that on 20 February, 2003, some officials of Chainpur Police Station left for Bhabhua in a police jeep at 12.30 p.m. As the jeep went about 5 km. towards village Kesh and Tetari, a Tata Sumo coming from behind asked for pass. As the road was muddy and damaged due to heavy rains, it was not possible to let it pass immediately. However, after covering a distance of about 100 yards, the Sumo was given the side to cross the police jeep. When it reached Jaiprakash chowk at Bhabhua, four persons including Shri Hemant Chaubey, son of Shri Lal Muni Chaubey, MP got down from the vehicle and signalled the police jeep to stop and started threatening the policemen. A report was also lodged in the Police Station by him (SHO) regarding the incident.

---

[2] Pl. See Appendix II.

[3] Pl. See Appendix III.

[4] Pl. See Annexure I to Appendix III.

[5] Pl. See Annexure 2 to Appendix III.

The SHO stated that Bhabhua is approximately 5 kms., from the place where Shri Hemant Chaubey asked for the pass. Even if pass was not given to the Tata Sumo (due to bad condition of the road and for only about 100 yards), it will not take two hours to cover a distance of 5 km. even with the minimum speed. As such, the allegation levelled by the member is beyond facts. He also stated that no advance information about the stay of the member in Bhabhua and his departure for Delhi, by flight, had been given to the Police Station. On the other hand, member's son misbehaved with him.

14. Shri Lal Muni Chaubey, MP to whom a copy of the factual report was given, in his further communication[6] dated 24 April, 2003 while reiterating his allegations against the Superintendent of Police, Kaimur, made following submissions:—

(i) On 20 February, 2003 he had to take a flight from Babatpur, Airport for Delhi to attend the sitting of the House;

(ii) As per his programme, he had called for the vehicle at 10 a.m.;

(iii) Had his vehicle not been stopped, he would have reached Babatpur on time and taken the flight; and

(iv) His vehicle was deliberately delayed for more than 2 hours on the way as the police jeep ahead moved very slowly for about a distance of 10 kms. and not for 100 yards only as stated by the SHO, Chainpur, at the behest of Superintendent of Police, Kaimur.

15. On 29 April, 2003, the Speaker referred the matter to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.

EXAMINATION OF THE MATTER BY THE COMMITTEE OF PRIVILEGES (13 LS)

16. The Committee of Privileges held 3 sittings for consideration of the matter.

17. At their first sitting held on 2 September, 2003, the Committee considered the matter. The Committee decided that Shri Lal Muni Chaubey, MP be requested to appear before them for oral evidence on 16 October, 2003.

18. At their second sitting held on 16 October, 2003, the Committee examined on oath Shri Lal Muni Chaubey, MP.

19. At their third sitting held on 13 November, 2003, the Committee examined on oath Shri J. S. Gangwar, Superintendent of Police, Kaimur, Bihar and Shri Ajay Prasad, SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar.

20. Before the Committee could proceed further in the matter and finalise the Report, Thirteenth Lok Sabha was dissolved on 6 February, 2004.

21. During Fourteenth Lok Sabha, Shri Lal Muni Chaubey, MP addressed a letter[7] dated 9 September, 2004 to the Speaker, Lok Sabha requesting for revival of

---

[6] Pl. See Appendix IV.

[7] Pl. See Appendix V.

his privilege case which had been referred to the Committee of Privileges (Thirteenth Lok Sabha) but remained inconclusive due to premature dissolution of Lok Sabha. The member also stated that his evidence as well as evidence of the police officials concerned had already been taken by the Committee of Privileges, Thirteenth Lok Sabha. The member requested that the matter may be referred to the Committee of Privileges.

22. The Speaker in exercise of his powers under Rule 227 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, re-referred this matter to the Committee of Privileges (Fourteenth Lok Sabha) for examination, investigation and report on 7 December, 2004.

III. Evidence

Evidence of Shri Lal Muni Chaubey, MP given before the Committee of Privileges, Thirteenth Lok Sabha

23. During his evidence before the Committee on 16 October, 2003, Shri Lal Muni Chaubey, MP *inter alia* stated as follows:—

> "On 17 February, 2003, I had gone to attend a marriage function of my friend's son in Ranchi. On 19 February, 2003, I also attended reception of the marriage there. People there requested me to stay for some more time. As till 19 February, there was no Parliament, I thought if I could stay there on 19th also and start on 20th morning, I can even then reach Parliament on 20th February to attend the Budget session if I went by a vehicle in the morning at 10 O'clock, could take train and reach Babatpur at 2.30 p.m. and catch a flight for Delhi from there. My village is about 23-24 kms. away from Bhabhua. There is a Rohtas district in the Kaimur hills. Its town is Bhabhua. The Superintendent of Police, Collector and other people live there. My House is at a distance of 23-24 km. from that place. I had requisitioned a vehicle from that place at 10.00 a.m. It was past 12 noon but the vehicle did not turn up.There is a Jaiprakash crossing and I was waiting there. I was getting late. Then I saw a police vehicle coming and the vehicle which I had requisitioned was behind it. I scolded my son, who was also in that vehicle, as to why they were so late. He said police did not allow their vehicle to pass for two hours from Chainpur. I asked the police as to why they did such a thing when the boys told them that they were getting late as I had to reach Parliament. On the way when the boys asked the police why they were driving their vehicle so slow and not giving them pass, they said it hardly matters whether it is MP's vehicle or the President's vehicle, the police vehicle moves like this and it would move like this only."

24. Shri Chaubey added, "the residence of the SP, Kaimur is at a distance of 100 kms. from there. When I contacted the SP from my mobile, he was not at his residence. He was having inspection of Bhabhua Police Station at that time. I told him that his Sub-Inspector whom he had sent, had been behaving in a derogatory manner. The SP told me not to talk nonsense. He said that he had sent the Sub-Inspector to Aghora for conducting a raid. I told him that I am late now and will not

be able to catch the train and then flight for Delhi. I also told him that he had prevented me from reaching Parliament which was not good. He said he had not done any such thing and advised me not to talk nonsense. I was stranded there. I reached Mugalsarai at 5.30 p.m. Babatpur is about 35-40 kms. from there. Sampoorna Kranti Express runs from that place. I took that train and came to Delhi to attend Parliament. I could not attend the sitting of the House on 20 February, 2003. I could only reach on 21 February, 2003. Again I left for Bihar the same evening. After reaching Bihar on 21 February, 2003, first I went to the residence of the SP in the morning. I told him that he did not allow me to attend the Parliament while I had promised my leaders that I would definitely attend the sitting of Parliament on 20th February but I could not do so because of him. On this, again he retorted that I was talking nonsense. He reiterated those derogatory words and challenged me to do what I could against him. I told him that I would not do anything. Sir, he used such a language which I cannot utter here. It is below my dignity. You can understand it. I did not hear such offending sentences in my 40 years of public life and this has offended me badly."

25. When asked whether he had any enmity with the said SP, the member replied "…there is no question of enmity with anyone. He might have harboured some negative feelings against some political personality due to which he behaved in such a manner. But I did not have any such feelings. I would like to tell you that Bihar has reached an extraordinary situation. The whole of India knows it. Under such a situation, the officials have developed such mindset."

26. On being asked whether the road was filled with mud on which the vehicle requisitioned by him was not given pass and whether he was not in the said vehicle, the member stated that "…my son was in the car. There was one other person also who was driving the vehicle. I was not in the vehicle. No, it is absolutely wrong that the road was muddy and narrow. It is a two lane road and it was possible to give pass to other vehicles. Several vehicles were allowed to overtake. Only my vehicle was stopped."

Evidence of Shri J. S. Gangwar, the then Superintendent of Police, Kaimur, Bihar

27. During his evidence before the Committee on 13 November, 2003, Shri J. S. Gangwar *inter alia* stated as follows:—

> "Sir, according to the hon. Member, this incident relates to 20th February, 2003. On that day I was in Bhabua district, which is a Headquarter. The hon. member of Parliament perhaps rang me up on the 25th February to inform about the incident. I told him that this was the first time I was informed about the incident and I would investigate the matter thoroughly as it is necessary to get the views of the concerned officials. I had asked SHO also in this connection. I gathered information about the factual position of the incident. There is a difference between the version of the SHO and that of hon. MP. The SHO informed me that he was coming from some 10 kms. away from Chainpur police station, which is a station in my district, for some court work by road on 20th of February, 2003. He told that

he himself was driving the vehicle as driver on duty was not present that day. Meanwhile, he heard honking from behind when they were 5 kms. away from Bhabhua. The road was damaged and of single lane, and there was mud on both the sides of the road due to heavy rains two days back. So, the vehicle behind could not be allowed to overtake immediately. After going about 100 metres, the SHO moved his vehicle to the left and the vehicle behind took over. The SHO further told me that the same vehicle again confronted them at Jaiprakash Chowk in Bhabhua district. Some persons came out from the vehicle and signalled SHO to stop. The SHO stopped the jeep and Shri Hemant Chaubey, son of hon. Member got down from the vehicle and asked who was ASI, Nisar Khan and why did he want him to remove tinted glasses from his car and that tinted glasses will not be removed from his car. The SHO told him that he is SHO and if he wanted to complain about Nisar Khan, he could do so. At this Shri Hemant Choubey said, " I am the son of an MP, I do not want to talk to you. I will talk to DM or SP. You are policeman and I'll show you the way." Saying this, all of them got into their vehicle and left the place. Hon. MP told me all about it on the telephone. I asked the SHO – Was the hon. Member of Parliament sitting in the jeep at that time? He said – hon. Member was not there in the vehicle. I asked – did you know that Member of Parliament was in Bhabhua district? He said – He was neither aware of it nor anybody told him for what purpose the jeep was going. When I came to know about it, I told all this to hon. MP at that very night itself. Hon. Member seemed to be satisfied and convinced. After that, I received a notice on 8th March, 2003 from the Lok Sabha Secretariat and a written reply was asked from me within half-an-hour. I gave the reply in time. I also came to know that DIG had received an order for investigation of the matter. Our DG had given the order. He also came for investigation of the matter. Statements of persons concerned were also recorded and the son of hon. Member, Shri Hemant Chaubey was also called through letter and as far as I know, probably he did not present himself before the DIG for investigation. I had a talk with the DIG, he said probably for this reason he could not finalise his report in the matter. This is all I have to say in the matter."

28. When asked whether he had talked to the member in person or had he ever seen him in his area, Shri Gangwar said " I have never talked to him in person. I have only spoken to him on phone. I have never seen him in my area. I don't even recognize him."

29. On being asked whether he did not reply to the member courteously and used very unprintable language against him when the latter lodged his complaint with him on phone and on the contrary told the member that his version of the incident was wrong and rubbish, Shri Gangwar stated " I did not use such a language. Neither I remember of using any such language. If the hon. Member has any such observation, through you, I tender my apology for that. If I have hurt the hon. Member anyway, I beg pardon for that. As an SP of the district I personally apologise. I never intended to hurt him. In fact, I always instruct my officers that our

representatives should be given due respect and treatment. No, I did not tell the hon. Member that his version was wrong. I told him that the statements of the SHO and other officers sitting in the vehicle reveal that your son had threatened them for which the SHO has registered a case also."

30. When the Committee told Shri Gangwar that the complaint of the hon. Member is that the district administration is unhappy with him and therefore you wanted to settle scores with him, Shri Gangwar replied "there is no such thing. There is no reason for having any grudge against the member. I do not find hon. Member's observations correct. There has not been any such thing in the past also. I am posted in that district since August, 2002. I did not meet the hon. Member either on 21 February, 2003 or on 22 February, 2003. In fact I have not met him till date. I first talked to him only on 25 February, 2003. Neither did I know earlier, nor do I know now where the hon. Member stayed in Bhabhua. I know he lives in a village under Chainpur Police Station in my district. I know his house in the village. I do not have any knowledge as to where does he stay when he comes to Bhabhua. The information that he was in that district on 20 February was not conveyed to me. The hon. Member first informed me about the incident only on 25 February and that too on phone."

31. On being asked whether the road on which the incident took place is a double lane road, Shri Gangwar replied "the roads in the urban limits of Bhabhua are two laned. The police station is at far off place and has a single road. Chainpur police station is 10 kms. from the road in question. It is a single road. It is being widened now."

32. When asked, whether after receiving the privilege notice against him he tried to speak with the member or meet him, Shri Gangwar stated that " No Sir. I realise and accept that it was my mistake. The SHO and myself should have gone to meet him. After my first talk to him, I felt he was satisfied."

Evidence of Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar

33. During his evidence before the Committee on 13 November, 2003, Shri Ajay Prasad *inter alia* stated as follows:—

> "I was asked to give the report in writing by the S.P. Saheb, therefore, I gave it in writing. I, along with Shri Ram Lakhan Singh, Shri Nisar Khan and Shri Jalesar Ram, was going to Bhabhua Court on 20th February, 2003 from Chainpur police station. Midway, a vehicle behind us blew horn. As both sides of the road were muddy and the road was also very narrow, I could not give pass. After about 50-100 yards, I gave pass and that vehicle overtook us speedily. From there Bhabhua was hardly 5 kms. away. Jaiprakash Chowk is also there. When we reached Jaiprakash Chowk, we found the said vehicle parked there. The son of the hon. Member Shri Hemant Chaubey was sitting inside the vehicle along with the two-three boys. They indicated our vehicle to stop. I stopped the vehicle. He told me that 4-5 days back, Shri Nisar Khan, ASI had asked him to remove

the tinted glasses of his vehicle during checking. He said that he would set Nisar Khan right. He also threatened us. After returning to the police station, I discussed his misbehaviour with my colleagues. Apart from this, nothing happened on that day."

34. When asked why did he not allow the said vehicle to pass by for 2 hours, Shri Prasad replied " I did allow them. The distance between Bhabhua and Chainpur is only 10 kms. I had gone ahead of Chainpur Police Station as I had some work relating to a Court case. Their vehicle was behind my vehicle. When their vehicle signaled for pass to overtake my vehicle, I could not allow it immediately as the road was very muddy and narrow. I myself was driving the vehicle and after moving 50-100 yards that vehicle overtook me speedily."

35. On being asked whether the hon. Member was present at Jai Prakash Chowk and what happened there, Shri Prasad replied "Hon. Member was not there. His son had stopped his vehicle there and was waiting for my arrival. Shri Hemant Chaubey, son of hon. Member spoke to me and enquired about Shri Nisar Khan, ASI the person who had asked him to remove the dark glasses of his vehicle during search operation."

36. When asked whether he informed the hon. Member about the incident and the manner in which his son behaved with you, Shri Prasad stated "We had no information about the member's presence in Chainpur."

37. On being asked whether Shri Gangwar, SP had instructed him to harass the member and his family, Shri Prasad replied "No such instruction was given to him."

38. On being asked whether he met the member after receiving the notice of privilege, Shri Prasad replied "No, Sir. At that time I was on raid and after that I was transferred to a naxalite affected area where leave is not sanctioned."

39. When asked if there was any misunderstanding with the member it could have been sorted out by meeting him or at least speaking to him on phone, Shri Prasad said "If there is anything wrong I will apologize to him. I will meet him. I will apologise if there is any mistake."

Evidence of Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar given on 5 July, 2005 before the Committee of Privileges, Fourteenth Lok Sabha

40. When asked by the Committee that during his appearance before the Committee of Privileges (13 Lok Sabha), some members were of the view that had he met the member after the said incident and apologized, the matter would have been settled there itself, Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station stated "I had gone to the residence of hon. Member and spoke to his son. I could not meet the member as he was not present, may be because I had not taken any appointment from him as I was not having his telephone number. I would go and meet him now. I have spoken to his son also and expressed my desire to meet him after going from here. I want to apologise for whatever mistakes I have committed inadvertently."

IV. Findings and Conclusions

41. The Committee feel that the main issues involved in the matter are as follows:—

(i) Whether obstruction was casued to Shri Lal Muni Chaubey, MP in coming to Delhi to attend the session of Parliament; and

(ii) Whether the member was misbehaved with by the Superintendent of Police, Kaimur and SHO, Chainpur.

42. The Committee note that the allegation that the vehicle which was coming to pick up the member was obstructed, has been denied by the concerned police officer *viz.* SHO, Chainpur. Further, as per the member's own version, he was not in the vehicle at the time it is alleged to have been obstructed. The police officers who appeared before the Committee stated that they were not aware of the member's presence in Chainpur on that day. Shri Lal Muni Chaubey, during his evidence also did not state that the local police authorities were informed about his presence in Chainpur.

43. The Committee are, therefore, of the view that even if the vehicle which was coming to pick up Shri Chaubey was obstructed, it was not done with the intention of preventing or obstructing the member from attending the sitting of the House.

44. The Superintendent of Police, Kaimur and SHO, Chainpur, both denied misbehaving with the member or even having met him. The Committee, however, note that the SHO, Chainpur as well as Superintendent of Police, Kaimur, during their evidence before the Committee apologised for any act or omission on their part which might have inadvertently hurt the feelings of the member.

45. The Committee wish to draw attention to Instructions/Guidelines pertaining to 'Official dealings between the Administration and members of Parliament and State Legislatures' issued by the Government of India from time to time, with regard to norms of etiquette and basic courtesies to be observed by the executive functionaries while dealing with members of Parliament and State Legislatures.

46. The Committee are of the view that had the basic courtesies like meeting the member and explaining the circumstances to him, been shown by the police officers concerned to Shri Chaubey, the matter would have been sorted out there itself.

47. The Committee desire that the then SHO, Chainpur Police Station may be cautioned to be very careful and discreet while interacting with the elected representatives of the people and it may also be emphasized upon him to scrupulously adhere to the guidelines/instructions with regard to extending due courtesies to the elected representatives of the people.

48. The Committee lament the declining adherence by the police officers to the basic courtesies which they are required to extend to the legislators. The police

officers need to be sensitized with regard to their duties and obligations in this regard. The Committee, therefore, desire that specific guidelines be issued by the Union Government in this regard. The Committee also desire that the Union Government may reiterate the guidelines/instructions regarding dealings with members of Parliament issued earlier from time to time emphasizing upon the executive functionaries particularly police officers and personnel, the need for their strict compliance, with a view to ensuring that such incidents do not recur in future.

V. Recommendations

49. The Committee recommend that in view of unconditional apology tendered by the then SHO, Chainpur Police Station repeatedly and apologies tendered by the Superintendent of Police, Kaimur, no further action be taken in the matter and it may be dropped.

50. The Committee also recommend that the observations made by them at paras 47 and 48 may be communicated to the Ministry of Home Affairs for requisite action in this regard.

V. KISHORE CHANDRA S. DEO,
Chairman,
Committee of Privileges.

NEW DELHI;
17 *March*, 2006

MINUTES

MINUTES OF THE FIRST SITTING OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES HELD ON WEDNESDAY, 9 MARCH, 2005 IN COMMITTEE ROOM 'E' PARLIAMENT HOUSE ANNEXE, NEW DELHI

The Committee sat from 1600 hrs. to 1635 hrs.

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri A. Krishnaswamy
3. Shri Rajendrasinh Rana
4. Shri D. Vittal Rao
5. Shri Kishan Singh Sangwan

SECRETARIAT

Shri Ravindra Garimella — *Under Secretary*
Shri Ashok Sajwan — *Under Secretary*

The Committee took up for consideration the question of privilege given notice of by Shri Lal Muni Chaubey, MP against the SHO, Chainpur Police Station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing Shri Lal Muni Chaubey, MP from attending the sitting of the House.

2. At the outset the Chairman, informed the Committee that the matter, on a notice of question of privilege given by Shri Chaubey during the Thirteenth Lok Sabha, was referred to the Committee of Privileges, Thirteenth Lok Sabha. Evidence was taken by that Committee but before the Report of the Committee could be finalized, the matter lapsed on dissolution of Thirteenth Lok Sabha. The Chairman, also apprised the Committee about the legal position in respect of further course of action in such matters.

Members expressed their views.

3. The Committee, after some deliberations noted that there were no instances in the past where the successor Committee had considered the matter *de novo.* The Committee, accordingly decided that it was not necessary to hear the evidence *de novo* and that the evidence tendered before the predecessor Committee in the matter might be utilised by the Committee.

4. The Chairman, thereupon, directed the Secretariat that a brief of the evidence on record might be prepared and circulated to the members for their consideration of the matter before the next sitting of the Committee so that a final view might be taken in the matter.

The Committee then adjourned.

MINUTES OF THE SECOND SITTING OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES HELD ON THURSDAY, 9 JUNE, 2005 IN COMMITTEE ROOM No. 53, PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

The Committee sat from 1100 hrs. to 1140 hrs.

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ananthkumar Hegde
3. Shri Nitish Kumar
4. Shri Varkala Radhakrishnan
5. Shri D. Vittal Rao
6. Shri Kishan Singh Sangwan
7. Shri Bijendra Singh
8. Shri Virendra Kumar

SECRETARIAT

Shri John Joseph — *Additional Secretary*

Shri V.K. Sharma — *Joint Secretary*

Shri Ashok Sajwan — *Under Secretary*

The Committee took up for consideration the question of privilege given notice of by Shri Lal Muni Chaubey, MP against the SHO, Chainpur Police Station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing Shri Lal Muni Chaubey, MP from attending the sitting of the House.

2. The Committee were of the opinion that before coming to any conclusion in the matter, Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar might be heard once again.

3. The Committee, accordingly directed that Shri Ajay Prasad, who was the SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar in January-February, 2003, be again asked to appear before the Committee for oral evidence on 1 July, 2005.

The Committee then adjourned.

MINUTES OF THE THIRD SITTING OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES HELD ON TUESDAY, 5 JULY, 2005 IN COMMITTEE ROOM No. 53, PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

The Committee sat from 1100 hrs. to 1145 hrs.

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ananthkumar Hegde
3. Shri Nitish Kumar
4. Shri Rajendrasinh Rana
5. Shri D. Vittal Rao
6. Shri Kishan Singh Sangwan
7. Shri Iqbal Ahmed Saradgi
8. Shri L. Ganesan

SECRETARIAT

Shri John Joseph	—	*Secretary*
Shri V.K. Sharma	—	*Joint Secretary*
Shri Ravindra Garimella	—	*Under Secretary*
Shri Ashok Sajwan	—	*Under Secretary*

WITNESS

Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur, Kaimur, Bihar

The Committee took up further consideration of the question of privilege given notice of by Shri Lal Muni Chaubey, MP against the SHO, Chainpur Police Station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing Shri Lal Muni Chaubey, MP from attending the sitting of the House.

2. The Committee examined Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar on oath.

(Verbatim record of the evidence was kept)

(The witness then withdrew)

The Committee then adjourned.

MINUTES OF THE FOURTH SITTING OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES HELD ON TUESDAY, 27 SEPTEMBER, 2005 IN ROOM No. 53, FIRST FLOOR, PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

The Committee sat from 1130 hrs to 1215 hrs.

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Varkala Radhakrishnan
3. Shri Iqbal Ahmed Saradgi
4. Shri Bijendra Singh
5. Shri Devendra Prasad Yadav
6. Shri Kishan Singh Sangwan
7. Shri Ananthkumar Hegde
8. Shri Nitish Kumar
9. Shri Virendra Kumar

SECRETARIAT

Shri Ravindra Garimella — *Under Secretary*

Shri Ashok Sajwan — *Under Secretary*

The Committee first took up for consideration the matter of Shri Lal Muni Chaubey, MP. The Committee took note of the communication dated 14.08.2005 addressed by Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar wherein he intimated that he had met Shri Lal Muni Chaubey, MP and expressed his regrets in the matter.

After some deliberations, the Committee felt that in the light of regrets expressed by the SHO, Chainpur Police Station to Shri Chaubey personally as also before the Committee the matter may be closed. The Committee, however, felt that the SHO may be suitably cautioned and it may be impressed upon the executive functionaries to strictly comply with the official Guidelines/Instructions issued by the Government which require them to extend due courtesies to the members of Parliament.

The Committee directed the Secretariat to prepare a draft Report on the desired lines for its consideration.

2. * * * *

3. * * * *

The Committee then adjourned.

MINUTES OF THE FIFTH SITTING OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES HELD ON FRIDAY, 20 JANUARY, 2006 IN COMMITTEE ROOM No. 53, PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI

The Committee sat from 1500 hrs. to 1600 hrs.

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri A. Krishnaswamy
3. Shri Varkala Radhakrishnan
4. Shri Rajendrasinh Rana
5. Shri Kishan Singh Sangwan
6. Shri Virendra Kumar
7. Shri Devendra Prasad Yadav

SECRETARIAT

Shri V.K. Sharma	—	*Joint Secretary*
Shri Ravindra Garimella	—	*Under Secretary*
Shri Ashok Sajwan	—	*Under Secretary*

The Committee at the outset took up for consideration the Draft Second Report on the notice of question of privilege given by Shri Lal Muni Chaubey, MP against the SHO, Chainpur Police Station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing Shri Lal Muni Chaubey, MP from attending the sitting of the House during Thirteenth Lok Sabha. The Committee had desired some minor changes in the recommendation portion of the Draft Report. After some deliberations the Committee adopted the Report and authorized the Chairman to present the Report to the Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

2. * * * *

3. * * * *

The Committee then adjourned.

MINUTES OF EVIDENCE

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Tuesday, 5 July, 2005

PRESENT

Shri Pawan Kumar Bansal — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Ananthkumar Hegde
3. Shri Nitish Kumar
4. Shri Rajendrasinh Rana
5. Shri D. Vittal Rao
6. Shri Kishan Singh Sangwan
7. Shri Iqbal Ahmed Saredgi
8. Shri L. Ganesan

SECRETARIAT

Shri John Joseph	—	*Secretary*
Shri V. K. Sharma	—	*Joint Secretary*
Shri Ravindra Garimella	—	*Under Secretary*
Shri Ashok Sajwan	—	*Under Secretary*

WITNESS

Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur, Kaimur, Bihar

The Committee met at 11.00 hours.

सभापति महोदय: श्री अजय प्रसाद, आपको 20 फरवरी, 2003 को श्री लालमुनी चौबे, संसद सदस्य को लोक सभा की बैठक में भाग लेने से कथित रूप से रोकने के सम्बन्ध में साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

इससे पहले मुझे आपको सूचित करना है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 275 के अन्तर्गत आप जो साक्ष्य समिति के समक्ष देंगे, उसे समिति के प्रतिवेदन तथा कार्यवाही के लोक सभा को प्रस्तुत किए जाने तक गोपनीय समझा जाएगा। समिति की कार्यवाही का किसी भी प्रकार पूर्व प्रकटीकरण अथवा प्रकाशन विशेषाधिकार का हनन तथा सभी की अवमानना माना जाएगा।

आज जो साक्ष्य समिति के समक्ष देंगे, उसे सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पहले कि आप अपना साक्ष्य दें, आप शपथ लें।

(शपथ ग्रहण)

सभापति महोदय: आप जब पिछली बार इस समिति के समक्ष पेश हुए थे, उस वक्त एक-दो चीजों पर कुछ सदस्यों ने आपका ध्यान दिलाया था और आपसे एक उम्मीद की थी कि शायद किसी ढंग से उसके बाद माननीय सदस्य से बात करेंगे, क्योंकि कई बातें उठती हैं और समय के साथ बात ठीक हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी थोड़ा समझा गया था कि वाकयात के बावजूद भी आपकी बात से थोड़ी सी ऐसी झलक आ रही थी कि शायद बात को स्वीकार करने को आप तैयार नहीं हैं या बात को खत्म करने को तैयार नहीं हैं और आज तक उसके बाद शायद कुछ नहीं हुआ।

श्री अजय प्रसाद: मैं माननीय सांसद महोदय के घर पर गया था तो उनके बेटे से बातचीत हुई। माननीय सांसद महोदय वहां नहीं थे, इसलिए उनसे भेंट नहीं हो पाई।

श्री डी॰ विट्ठल राव: आप कब गये थे? क्या आप उनके घर पर एपाइंटमेंट लेकर गये, आप गये और एम.पी. साहब नहीं मिले?

श्री अजय प्रसाद: मैं एपाइंटमेंट लेकर नहीं गया, क्योंकि उनका नम्बर मेरे पास नहीं था। यहां आकर उनका नम्बर भी मैंने पता किया।

सभापति महोदय: आप अब किस जगह पोस्टेड हैं?

श्री अजय प्रसाद: मैं गुमला में हूं।

सभापति महोदय: उस समय से लेकर आज तक, जो लास्ट टाइम आपका एवीडेंस हुआ था, उसके बाद आपने कोई कोशिश नहीं की। आपने समझा कि मसला खत्म हो गया है।

श्री अजय प्रसाद: नहीं सर, छुट्टी नहीं मिली।

सभापति महोदय: छुट्टी वाली बात ही आपने पहले कही और यह बात कन्विंसिंग नहीं होती कि छुट्टी नहीं मिली, इस कारण नहीं मिल पाये। इतने समय के दौरान आपने छुट्टी किसी कारण नहीं ली?

श्री अजय प्रसाद: मैं जाऊंगा। अभी मैंने उनके लड़के से भी बोला कि इधर से लौटकर मैं सबसे पहले जाकर उनसे भंट करूंगा। मुझसे जो भी गलती हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

सभापति महोदय: उस वक्त श्री रवि प्रकाश वर्मा ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अगर कोई बात हो जाती है तो सांसद से मिलकर बात की जा सकती है और बात खत्म हो सकती है। आपको कम

से कम टेलीफोन पर ही बात करनी चाहिए थी। यह बात फरवरी, 2003 की है और आज हम जुलाई, 2005 में हैं, यह बात सवा दो साल पहले की है।

श्री अजय प्रसाद: अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार: क्या आप बताएंगे कि आपसे गलती क्या हुई? पिछली एवीडेंस के हिसाब से तो आपने कहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की और अभी सभापति महोदय के कहने के बाद आप कह रहे हैं कि कोई गलती हुई तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपसे क्या गलती हुई?

श्री अजय प्रसाद: गाड़ी को पास देने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, क्योंकि वहां पर रोड खराब थी, पानी पड़ गया था और कीचड़ था। आइन्दा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।

श्री नीतीश कुमार: सड़क खराब होने के बारे में तो मतभिन्नता है। आप लोगों का कहना है कि सड़क खराब थी और सिंगल रोड है, जबकि सांसद ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है, उस पर दो गाड़ियां आती-जाती हैं, एक दूसरे को अपोजिट डायरैक्शन से क्रास भी करती हैं। विपरीत दिशा से गाड़ी आती है तो दो गाड़ियां निकल जाती हैं, उन्होंने ऐसा कहा और आप लोग कहते हैं कि वह सिंगल रोड थी। दूसरी बात, सांसद महोदय का कहना है कि जब गाड़ी, जिसका वे बाबतपुर हवाई अड्डे जाने के लिए भभुआ में इन्तजार कर रहे थे, उसे आने में बहुत विलम्ब हुआ। वे अपने ब्लाक से बाहर निकलकर जयप्रकाश चौक पर इन्तजार कर रहे थे और काफी देर वहां खड़े रहने के बाद जब पुलिस की गाड़ी और उनका लड़का जिस गाड़ी पर सवार होकर उनको हवाई अड्डे पर पार्लियामेंट सैशन अटेंड करने के लिए आने वाला था, वह गाड़ी आई, लेकिन आप लोगों ने कहा कि वे थे ही नहीं। सांसद महोदय ने अपने एवीडेंस में इस कमेटी के सामने जो कहा है, उसमें है कि वे वहां खड़े थे।

श्री अजय प्रसाद: नहीं, उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई और उनको मैंने देखा भी नहीं।

श्री डी॰ विट्ठल राव: एम॰ पी॰ साहब के सन ने बता दिया कि यह एम॰ पी॰ साहब का व्हिकल है और एम॰ पी॰ साहब पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, यह तो आपको उन्होंने क्लियर बताया।

श्री अजय प्रसाद: केवल पास लेने में विलम्ब हुआ।

सभापति महोदय: आपने एक चीज कही कि उनका आपसे व्यवहार अच्छा नहीं था। अगर उनके मन में कोई ऐसी बात होती, उनके पुत्र का व्यवहार आपसे अच्छा न होना होता तो पास लेने के बाद वे वहीं गाड़ी रोक कर आपसे वहीं बात करते। उन्होंने वहां बात नहीं की। जब भी आपसे पास मिला, किसी जगह पर भी मिला, उसके बाद वे आगे जाकर चौक पर पहुंचे और माननीय सदस्य चौबे जी चौक पर थे, वहां उनसे आपकी बात हुई होगी कि हमें इस कारण से विलम्ब हुआ है, तब उन्होंने आपसे बात करने की बात कही, तब आपसे बात की क्या?

श्री अजय प्रसाद: मेरी बात नहीं हुई थी।

सभापति महोदय: क्या आपने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवायी थी?

श्री अजय प्रसाद: केवल स्टेशन डायरी में लॉज किया था।

श्री डी॰ विट्ठल राव: क्या आपने स्टेशन डायरी में एंट्री की थी?

श्री अजय प्रसाद: जी हां, स्टेशन डायरी में एंट्री की गई थी।

सभापति महोदय: कोई न कोई बात तो हुई थी, फिर आपने उसका काउंटर तैयार करने की कोशिश की होगी। यदि आपसे गलत बात करने या बदसलूकी करने की उनकी मंशा होती, तो वे आपसे रुक कर बात करते। वह वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें विलम्ब हो रहा था। वहां माननीय सदस्य से उनकी बात हुई और उसके बाद जब वे वहां पहुंचे, तब उन्होंने आपसे बात की।

श्री नीतीश कुमार: महोदय, इनसे एक सवाल और पूछा जाना चाहिए कि एविडेंस के हिसाब से इन लोगों का कहना है कि गाड़ी को इन्होंने पास दिया और आगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर जयप्रकाश चौक पर गाड़ी लेकर रुके रहे और इनका इंतज़ार किया, फिर इनके साथ उन लोगों ने बदतमीजी की। ऐसा इनका आरोप है। माननीय सांसद का कहना है कि जयप्रकाश चौक पर वह स्वयं खड़े थे और दोनों गाड़ियां एक के पीछे एक पहुंचीं, सांसद ने पूछा कि इतना विलम्ब क्यों हुआ, तब उन्होंने कहा कि इन्होंने पास नहीं दिया। इससे एक बात तो साफ है कि जयप्रकाश चौक पर गाड़ी रुकी थी। बकौल सांसद के, वे वहां खड़े थे, इसलिए गाड़ी रुकी थी और पुलिस वर्ज़न यह है कि सांसद का लड़का आगे लेकर चला गया था और इसके बाद जयप्रकाश चौक पर उसने गाड़ी सिर्फ इसलिए रोकी थी, क्योंकि वह इनसे बदसलूकी कर सके। सांसद और इनके साक्ष्य में थोड़ी कोंट्राडिक्शन है।

सभापति महोदय: आपने आगे कहा है कि हेमन्त चौबे ने पहले भी दो बार इस तरह से ऑफबस्टेकल किया है। इस बारे में आपने रिकार्ड में कुछ दर्ज नहीं किया है।

श्री नीतीश कुमार: यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा इनका स्टेटमेंट है कि उसके पहले अपने यहां सनेहा दर्ज कर लिया कि हमारे साथ बदसलूकी की गई है। यही इन्होंने सनेहा भी दर्ज कर लिया और यही रिपोर्ट इन्होंने भेजी है। वहां की सरकार से जो रिपोर्ट आई है, वहां के एसपी को इन्होंने जो लिखकर भेजा था, उसी के आधार पर एसपी ने अपने स्टेटमेन्ट को फ्रेम किया है एक बात तो बिल्कुल साफ दिखती है कि इन लोगों ने जरूर कुछ सोचा होगा, उसके बाद ही सनेहा दर्ज किया होगा। जयप्रकाश चौक पर मिलने के बाद दोनों कह रहे है। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में फर्क है। इनका कहना है कि बदसलूकी के लिए खड़े थे और सांसद का कहना है कि वे घर पर इंतजार करते-करते थक गए थे, इसलिए वहां खड़े थे। क्या उत्सुकतावश खड़े थे कि गाड़ी आएगी और तुरंत उसमें बैठकर चले जाएंगे? इनके सनेहा दर्ज करना और यह कहना कि तीन बार पहले भी हो चुका है।

सभापति महोदय: आपका कहना कि तीन बार पहले भी हो चुका है। इससे लगता है कि आपको पहले से पता था कि कौन सी गाड़ी पीछे आ रही है और उसी कारण आपने उसको पास नहीं दिया।

श्री अजय प्रसाद: महोदय, पास दिया था। लेकिन पास देने में थोड़ा विलम्ब हुआ था। हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा: इनको सांसद के पास जा कर मिलना चाहिए था क्योंकि बातचीत से मामला सुलझ सकता था। जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने मिलने की अनुमति पहले ली थी या नहीं। यदि किसी को जाना होता है तो वे पहले से पता कर लेते हैं कि सांसद महोदय घर पर होंगे या नहीं। सांसद से जाकर मिलने से यह मामला निबट सकता था। लेकिन स्टेटमेंट पढ़ने से लगता है कि कुछ न कुछ पूर्व नियोजित कारण आपके मन में था, ऐसा है या नहीं यह तो आप ही बता सकते हैं। इस हिसाब से लगता है कि बिहेव्यरली खींचतान हुई है।

श्री नीतीश कुमार: पिछली बार कमेटी के सामने जो एविडेंस है, वह रिपोर्ट के आधार पर है और एसपी ने खुद कहा है कि एक ईसाई बाजार में चैक करने गए हुए थे। यानि इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है कि शीशों पर जो फिल्म चढ़ा लेते हैं, उससे संबंधित भी बात है, केवल यही बात नहीं है। इससे लगता है कि इसके पहले भी कोई न कोई बात हुई है। इस बारे में तो आपको सच बोलना चाहिए।

SHRI D. VITTAL RAO: It was mentioned here that the jeep reached Jaiprakash Crossing. Four people came and one of the four persons was Shri Hemant Choubey.

श्री नीतीश कुमार: एक सांसद किसी बात को ऐसे ही क्यों कहेगा? आपको क्या लगता है? इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती है।

सभापति महोदय: नासिर खां कौन है? क्या उन्होंने कभी आपको यह शिकायत की थी कि हेमन्त चौबे ने कभी उनके साथ बदसलूकी की है?

श्री अजय प्रसाद : महोदय, नासिर खां एएसआई थे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी।

सभापति महोदय: फिर आप इस बात को बीच में क्यों लेकर आए हैं?

श्री नीतीश कुमार: इनके एविडेंस के बाद तो केस और भी जटिल हो रहा है। इसमें यह मोटिव दिखाई पड़ता है कि जान-बूझकर आपने यह किया था। इसके बारे में आपको क्या कहना है?

श्री अजय प्रसाद : महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : क्योंकि यह बात इसलिए निकल रही है क्योंकि पहले की घटना को इससे लिंक कर दिया गया है। पहले की घटना का बदला लेने की भावना या सबक सिखाने का तो कोई मोटिव नहीं था? इससे तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है।

सभापति महोदय: आपको इस संबंध में कुछ कहना है तो कहिए।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कुछ नहीं कहना है। आप केवल एक ही बात बोल रहे हैं। यह कमेटी आपको अपनी बात रखने का अवसर दे रही है। एक बात जो इससे उभरकर आती है कि पिछली घटी घटना से जुड़ा हुआ एक मोटिव है। कोई बात है, जिसके आधार पर आप किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। आपके, एस पी और सांसद महोदय के एविडेंस से यह बात निकल कर आ रही है। यदि आपको इस संबंध में कुछ कहना है तो तथ्यपरक ढंग से कह सकते हैं।

श्री अजय प्रसाद: महोदय, कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय: आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आपने पहले बयान दिया, एसपी साहब और सांसद महोदय का बयान हुआ। उसमें फिल्म की बात पर कोई झगड़ा हुआ था या कोई बात हुई थी। लेकिन आपने आज कह दिया कि आपको किसी ने शिकायत नहीं की थी। लेकिन इसमें इसका जिक्र है। इससे तो यही लगता है कि कोई बात किसी समय पहले हुई होगी और आपने सोचा, उस समय इसने ऐसा किया था, आज मौका मिला है। उसके बाद आपने डेली डायरी रिपोर्ट भी लिखी। आज दो-ढाई साल बीत चुके हैं और आपने सांसद महोदय से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की और आज आप यहां कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ होगा तो मैं माफी मांग लूंगा। आपने उनसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की?

श्री अजय प्रसाद: मैं सांसद महोदय के घर पर गया था। मैं उनके लड़के से भी मिला था और मैंने उनका फोन नंबर भी लिया था। लेकिन मैंने सोचा कि फोन से बात करना ठीक नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर उनसे बात करूंगा। मैं यहां से जाकर तुरंत उनसे भेंट करूंगा। वहां उग्रवाद है। मेरी पोस्टिंग वहां हुई थी। वहां एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती।

श्री डी॰ विट्ठल राव: सभापति महोदय, ये रिस्पौंसीबल ऑफिसर हैं। किसी नेता के पास बिना एप्वाइंटमेंट के कैसे जा सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि वे नहीं मिले, यह ठीक बात नहीं है।

सभापति महोदय: अब आप जा सकते हैं।

(तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।)

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE
COMMITTEE OF PRIVILEGES

Thursday, 16 October, 2003

PRESENT

Shri S. Jaipal Reddy — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Raashid Alvi
3. Shri Bhartruhari Mahatab
4. Shri Shivraj V. Patil
5. Shri Varkala Radhakrishnan
6. Sardar Buta Singh

SECRETARIAT

Shri V.K. Sharma — *Director*

Shri Ravindra Garimella — *Under Secretary*

Shri Ashok Sajwan — *Assistant Director*

WITNESS

Shri Lal Muni Chaubey, MP.

The Committee met at 11.00 hours.

EVIDENCE OF SHRI LAL MUNI CHAUBEY, MP.

MR. CHAIRMAN: We shall start the meeting. Welcome to all of you.

Shri Lal Muni Chaubey, you have been requested to appear before, the Committee to give evidence in connection with the notice of question of privilege given by you against the S.H.O., Chainpur police station and the Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing you from attending the sitting of the House.

I may inform you that under Rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha the evidence that you may give before the Committee is to be treated as confidential till the report of the Committee and its proceedings are presented to the Lok Sabha. आप पहले शपथ लीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे: मैं लाल मुनी चौबे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा, वह सच्चा होगा। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा तथा मेरे साक्ष्य का कोई अंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदय: चौबे साहब, आपको इस सिलसिले में जो कहना है, वह आप कहिए।

श्री लाल मुनी चौबे: सभापति जी, मैं एक शादी में गया हुआ था। 17 तारीख को रांची में शादी थी और मेरे बड़े निकट के मित्र थे, उनके बेटे की शादी थी, उनका अकेला बेटा है। रांची से हम लोग 17 तारीख को शादी थी, हम लोग वहां पहुंचे और 19 तारीख को उनके यहां रिसेप्शन था। रिसेप्शन में लोगों ने हमें रोका। हमने कहा कि चलो ठीक है, 20 तारीख तक पार्लियामेंट में पहुंचना है और चूंकि यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है और बजट सैशन है और 19 तारीख तक छुट्टी है तो मैंने सोचा कि ठीक है कि 20 तारीख को भी मैं पहुंच जाऊंगा तो ठीक है। 20 तारीख को मैंने सोचा कि मैं सुबह 10 बजे गाड़ी मंगाकर चलूंगा तो ढ़ाई-तीन बजे सहारा वाराणसी से, बाबतपुर से जो ट्रेन चलती है, उसी से मैं चला जाऊंगा। भभुआ से 23-24 कि॰मी॰ मेरा गांव पड़ता है। भभुआ से कैमूर नाम का कोई कस्बा या शहर नहीं है, जैसे रोहतास नाम का कोई कस्बा या शहर नहीं है। लेकिन जैसे रोहतास जिला है, ऐसे ही कैमूर पहाड़ी में कैमूर जिला है। उसका टाउन भभुआ है। वहीं ये एस॰पी॰ कलैक्टर वगैरह सब लोग रहते हैं। वहां से मेरा घर 23-24 कि॰मी॰ पड़ता है। वहां से दस बजे मैंने गाड़ी मांगी थी। लेकिन ग्यारह बज गए, गाड़ी नहीं आई। मेरा घर और एस॰पी॰ का घर एक जयप्रकाश चौराहा वहां है, वहां से करीब 25 गज की दूरी पर उनका गेट है और 25 की गज की दूरी पर मेरा भी घर है। यानी वहां एक तिराहा है। मैं वहां से निकलकर जयप्रकाश चौराहे पर आ गया और वहीं खड़ा रहा तथा मैं सोच रहा था कि गाड़ी आने वाली थी, क्यों नहीं आयी। मैं वहां खड़ा रहा और चूंकि मैं लेट हो रहा था कि इसी बीच में मैंने देखा कि आगे-आगे पुलिस की गाड़ी थी और पीछे से जिस गाड़ी को मैंने बुलाया था, वह गाड़ी थी। मैंने लड़कों को डांटा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी तो उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी को इन लोगों ने चैनपुर से लेकर यहां तक जो करीब 13 कि॰मी॰ पड़ता है, हमारी गाड़ी को इन्होंने पास ही नहीं होने दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? जब इन लोगों ने आपसे यह बताया कि मुझे पार्लियामेंट में जाना है और इन्होंने आपसे कहा कि हम लोगों को पास करिए तो बाकी गाड़ियों को आपने पास दे दिया लेकिन इनको नहीं दिया तो आपने ऐसा क्यों किया? आपने गाड़ी बीच में खड़ी करी और जब इन्होंने आपसे कहा कि हम लोगों को पास कीजिए तो फिर आपने इन्हें पास क्यों नहीं किया? फिर मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, आप गाड़ी आगे थोड़ी तेज कीजिए, हमें आगे जाकर ट्रेन पकड़नी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एम॰पी॰ की गाड़ी हो या राष्ट्रपति की हो, पुलिस की गाड़ी ऐसे ही चलती है। गाड़ी ऐसे ही चलेगी।

सभापति महोदय: क्या उस व्हीकल में आप थे?

श्री लाल मुनी चौबे: नहीं, जब भभुआ में मैं आया तो हमने उनसे कहा कि आप इस तरह की बात करते हैं, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे वैसे नहीं, गाड़ी जैसे चलती है, वैसे ही चल रही है।

सभापति महोदय: क्या ऐसा आपसे भी कहा?

श्री लाल मुनी चौबे: जी हां। वहां बहुत भीड़ हो गई थी। मैंने उनको कहा कि आप गलत समझते हैं। आप पुलिस हैं, आप दरोगा हैं। आप नहीं जानते हैं। आपको इस तरह से बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। आप एस॰पी॰ के यहां चलिए। मैंने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि मुझे या तो गिरफ्तार करिए या जेल ले चलिए। जो सजा देनी हो, दो। मैं बक्सर से एम॰पी॰ हूं और वहां से एस॰पी॰ का घर सौ कि॰मी॰ पड़ेगा। चूंकि मेरा होम जिला कैमूर है तो मैंने कहा कि मैं अब बैठकर चलता हूं। उस समय करीब पौने दो के लगभग हो रहा था। जब मैं आया तो मैंने मोबाइल से टेलीफोन किया तो अपने डेरे पर एस॰पी॰ साहब थे। वह उस समय भभुआ थाने का इंस्पेक्शन कर रहे थे। मैंने उनसे कहा

कि वह आपका दरोगा। है। उसे आपने भेजा था। मैं उसे पहचानता हूं। उसने मुझसे इस तरह से बात की है। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप बेकार की बात मत कीजिए। मैंने उस दरोगा को रेड करने के लिए अधौरा भेजा हुआ है। हमने कहा कि ठीक है, अब देर हो गई है, गाड़ी तो अब हमें नहीं मिलेगी लेकिन अगर गाड़ी लेट हो गई होगी तो शायद हमें मिल सकती है। हमने उनसे यह भी कहा कि आपने आज हमें पार्लियामेंट में जाने से रोक दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और आप बकवास मत कीजिए। वहां से मैं आ गया। पांच-साढ़े पांच बज गया था। चूंकि वहां जी॰टी॰ रोड पर नवगतपुर में जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहां पर काफी भीड़ रहती है। वहां ट्रक लगे रहते हैं और वहां ऐसे ही गलत काम होता है। वहां हम फंस गये। पांच-साढ़े पांच करीब हम मुगलसराय पहुंचे और वहां से बाबतपुर जो लगभग 35-40 कि॰मी॰ और आगे है और चूंकि हमें आगे जाना था तो वहां से सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रैस चलती है, मैं उसमें बैठा और आठ बजे पार्लियामेंट आया। मैं बीस तारीख को नहीं आ सका। मैं 21 तारीख को आ सका और 21 तारीख को शुक्रवार को ही मैं शाम को फिर वहां लौटा। 21 तारीख को लौटकर सुबह मैं पहले एस॰पी॰ के डेरे पर गया। उन्हें मैंने कहा कि आपने एक तो मुझे संसद अटेंड नहीं करने दी, जबकि मैंने अपने लीडर्स से कहा था कि मैं 20 तारीख को आ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पहुच सका, क्योंकि आपने बाधा डाली। उस पर मुझे कहा गया कि आप बकवास कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि हां कहा है, तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा ऐसे शब्द कहे, जिनको मैं यहां नहीं कह सकता, आप समझ सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल पुराना है। चाइना के एग्रेशन के समय मैं कालेज में पढ़ता था। मैंने 1967 से चुनाव लड़ना शुरू किया और 1972 से 1995 तक बिहार में रहा। एक बात मैं बताना चाहता हूं। वहां एक लड़के की हत्या कर दी गई थी। वह समता पार्टी का था, उसका नाम रणवीर सिंह था। वह बहुत होनहार और बढ़िया वकील था। दरवाजे पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर जार्ज साहब और नीतीश जी वहां पहुंचे थे। उस समय करीब 80000-85000 लोगों की भीड़ थी। मैंने भी तब मंच से लोगों को सम्बोधित किया था। मैंने कहा था कि मैं नहीं कहता कि कलेक्टर या एस॰पी॰ जिम्मेदार हैं, लेकिन एक बात सार्वजनिक है कि जब हम यहां एस॰पी॰ के पास जाते हैं तो वह एक शब्द नहीं बोलते और जब हम कलेक्टर के पास जाते हैं तो वह एक शब्द हमें नहीं बोलने देते, खुद शुरू हो जाते हैं। एक बोलता नहीं और दूसरा बोलने नहीं देता। इसी रोहतास में पुलिस के लोगों को बम से उड़ा दिया गया था। रात को 12 बजे वहां आतंकवादियों ने हमला किया और लौट गए। जब पुलिस के साथ ऐसा हो सकता है तो लोगों का पुलिस पर क्या विश्वास होगा। दो करोड़ रुपए खर्च कर दिए और कह दिया गया कि रोहतास से निरक्षरता का उन्मूलन हो गया है। उसका एवार्ड वहां के इन लोगों को मिला। मेरी इस बात पर कुछ लोग हंसने लगे और कुछ नारे लगाने लगे। यही मेरा दोष था। वहां जार्ज साहब और नीतीश जी दोनों थे। वह एस॰पी॰ उस समय नहीं था। कलेक्टर चार साल से वही है। एस॰पी॰ बदल गया। लेकिन उस एस॰पी॰ को शायद गुस्सा रहा हो। शायद उसने कुछ कहा हो। इसलिए इस एस॰पी॰ ने इस तरह का मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं जानता हूं कि इस पर ब्रीच आफ प्रिवीलेज नहीं आना चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ तीन ही विशेषाधिकार हनन के मामले दिए हैं और दो में आप साक्षी हैं। मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, जिससे छोटे अधिकारियों को फंसना पड़े। लेकिन यह स्वाभिमान के विरुद्ध है।

सभापति महोदय: आप बहुत सीनियर सियासतदां हैं। आप क्यों किसी छोटे अधिकारी को फंसाना चाहेंगे। हम आपकी बात मान रहे हैं। आप ऐसा करने वाले नहीं हैं, हम इस बात को मान रहे हैं।

श्री लाल मुनी चौबे: मेरा यह कहना है कि आपके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। यह अंतिम अदालत है। यहां मैं आपसे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, आप बहुत बड़े हैं, मैं इस बात को जानता हूं। इसलिए हम लोग आपको सम्मान देते हैं। संसद का घेरा दूसरी बात है, वहां हर कोई अपनी बात कह जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बिहार की विशेष परिस्थिति है, जो सारा भारत जानता है। इस परिस्थिति में इन अधिकारियों का मन ऐसा हो गया है कि वहां प्रतिष्ठा या सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने वाले लोग बहुत कष्ट में हैं। आपकी भी एक सीमा होगी। आपको भी क्रोध का असर अपने दिमाग में होता होगा। लेकिन क्रोध को पचा लेना, अगर आप उसको दबा लेते हैं तो भय के भाव आप में प्रकट होता है। वहां सारे आदमियों के मन में भय का भाव है। मैंने तब भी कहा था कि वहां जेल के गेट के सामने एक हवलदार और एक सुपरिंटेंडेंट को मार दिया गया। वहां रोज मर्डर होते हैं। छोटा सा जिला है, सबअर्बेनियन को जिला बना दिया गया है। अधिकारियों को वहां पता नहीं कौन सा जुनून है कि वे ही सर्वोपरि हैं। इस तरह से आप अपनी सामान्य क्रियाओं का निर्वाह नहीं कर सकते। अगर आप में स्वाभिमान होगा तो वहां कभी नहीं जाएंगे। मैं कभी जिले के कलेक्टर या एस॰पी॰ के पास नहीं गया। मुझे पैरवी करनी नहीं आती इसलिए मैं कभी किसी मंत्री के यहां भी नहीं जाता हूं। सम्मान खोकर आदमी को नहीं रहना चाहिए। जब यह मर जाएगा तो आप बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं बता रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं और हंसते हुए बोल रहा था। एक सदस्य का नाम लिया और कहा कि मैं बकवास मत करूं। और जो कुछ कहा गया, वह मैं संसद में नहीं कह सकता। बस इतनी ही बात है। रोहतास बहुत संवेदनशील जिला है, वहां रोज हत्याएं होती हैं और आतंकवादी घटनाएं होती हैं। रोज पुलिस की जीपें उड़ा दी जाती हैं और बम फेंके जाते हैं। मैंने जो कुछ कहा है ईश्वर की शपथ लेकर कहा है। अगर मैं असत्य बोलना चाहता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था।

सभापति महोदय: चौबे जी, हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे।

श्री लाल मुनी चौबे: मैंने ऐसा पढ़ा कि ऐसा संज्ञान लेना पड़ता है। ऐसे में मुझे सोचना पड़ा कि क्या वहां झूठ भी बोला जाता है? मैं यहां जो कुछ कहूंगा वह सही कहूंगा। मैं यहां ईश्वर की शपथ लेकर कहता है कि जो कुछ बात थी, वह मैंने कह दी। दूसरी बातें कहने का कोई फायदा नहीं है। बिहार के अफसरों का मन बहुत ऊंचा है लेकिन किसी का कोई सम्मान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों में बाधा डाल कर हस्तक्षेप किया गया।

सभापति महोदय: आपने जितनी बातें यहां कहीं, उससे मालूम होता है कि एसपी के मन में आपके बारे में कुछ था और इस वास्ते यह करवाया। क्या आपकी कुछ दुश्मनी थी?

श्री लाल मुनी चौबे: मैंने दो कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर्स नीतीश जी और जार्ज साहब को गवाह के तौर पर भी दिया। मैं जिस सभा में बोला वे सब ही वहां नहीं थे बल्कि रघुनाथ झा और समता पार्टी के सभी एमपीज थे, स्टेट के लीडर्स थे, एक मिनिस्टर छेदी पासवान थे जिन्हें शायद जेड सुरक्षा मिली है। वहां बहुत बड़ा जमावड़ा था। मैं किसी की न पैरवी करता हूं, न ही कहीं किसी के साथ जाता हूं और न ही कुछ करता हूं इसलिए दुश्मनी का सवाल नहीं है। सीधा सवाल यह है कि उसके मन में पॉलिटिकल लोगों के प्रति कोई बात रही हो जिस के कारण गाड़ी ले जाने में देरी की लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया? उन सब से कहा कि राष्ट्रपति की गाड़ी हो या एम पी की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी ऐसे ही चलती है। रास्ता साफ था। मैंने उस समय कहा कि किसी को भेज कर इनक्वायरी करवा लीजिए। वह गाड़ी आ सकती थी लेकिन उसे आने नहीं दिया। उसे एक-आधे घंटे लेट किया और एक-आधा घंटा मुझे जयप्रकाश चौराहे पर फंसाया गया। मैं इससे दो-ढाई घंटे लेट हो गया। जब मैंने

एसपी से कहा तो उसने माना कि सौ-दो सौ गज रास्ता नहीं दिया। उसने इस बात को एडमिट भी किया। वह सौ-दो सौ गज की बात कहता है जबकि ग्यारह किलोमीटर रास्ता नहीं दिया। थाने के एसपी ने इस बात को एडमिट भी किया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें दोबारा भेजा है। मैंने तीन बार पूछा तो कहा कि वह नहीं आया। मैंने कहा कि अभी तक नहीं आया जबकि आपके पास सामान है और आप वेट करवा रहे हैं जबकि वहां नक्सल एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे में मैंने जब पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप बकवास कर रहे हैं, बकवास मत कीजिए। मैंने कहा कि आप किस से बात कर रहे हैं? उन्होंने बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। श्रीमती गीता मुखर्जी जिन का स्वर्गवास हो गया है उन्होंने भी एक बार मुझ से कहा कि जोर से बोलते हैं, ऐसे में मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। ऐसे समय में लोग समझते हैं कि मैं क्रोध में बोलता हूं। इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर मेरी मुंह, आंखें बोलते समय कुछ ऐसे हो जाती हैं तो सभी यह अन्दाजा लगाते हैं कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं लेकिन मेरे भीतर ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। मैंने कई लोगों से आम सभा में कहा कि मेरी आंखें चढ़ जाती हैं और मेरा मुंह ऐसा बन जाता है जिससे लगता है कि मैं क्रोध में बोल रहा हूं लेकिन मेरे भीतर क्रोध नहीं होता है। ऐसा लोगों को लगता होगा। इसमें मैं अपराधी नहीं हूं।

SHRI RASHID ALVI: Mr. Chairman, I have to say something. जो भी चौबे जी की समस्या और परेशानी है, वह अकेले चौबे साहब की नहीं है, यह ज्यादातर एमपीज की है। चौबे जी का मामला इतना है कि वह प्रिवलेज कमेटी में आ गया। यह मामला प्रिविलेज कमेटी में किस तरह आए, इसके लिए रास्ता तलाश किया जाता है ताकि अधिकारियों के मिसबिहेवियर को ठीक किया जा सके। मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे इनकी एक-एक बात सही लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी के कुछ अख्तियार हैं तो इन रूल्स को चेंज करवा करके पार्लियामैंट में पास कराइए कि एमपीज के साथ अधिकारियों को किस तरह बिहेव करना है। अगर वे मिसबिहेव करेंगे तो उनके क्या नतीजे निकलेंगे यह देखना बहुत जरूरी है। आप इसे कर सकते हैं। आप किसी दिन कमेटी की मीटिंग बुला कर इस पर विचार करें। We should think it over seriously and then should recommend to the House so that it may be passed.

MR. CHAIRMAN: We will think over the point you have mentioned at some exclusive meeting.

Do you have anything to ask, Shri Varkala Radhakrishnan? Shri Lal Muni Chaubey, Shri Varkala Radhakrishnan would like to put some questions to you.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Hon. Member, is it correct that the road was filled with mud? It is correct that the road by which your car was passing was filled with mud because that was the contention?

श्री लाल मुनी चौबे: मैं ऐसी बात कह कर शायद गलती कर रहा हूं। मैंने यहां जो कुछ कहा वह हिन्दी में कहा। राधाकृष्णन जी उनको ठीक से समझ नहीं पाए। मैं किसी कार में नहीं जा रहा था।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Were you not in the car? According to the police version, your son, two others and yourself were in the car, when you were proceeding to attend to Parliament.

श्री लाल मुनी चौबे: मेरे पुत्र कार में थे। एक और था और वहीं लेकर आ रहे थे। गाड़ी वहीं लेकर आ रहे थे। मैं नहीं आ रहा था। यह बात मैंने अध्यक्ष जी को बतायी।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Were you not there in the car?

MR. CHAIRMAN: The car was coming to pick him up. That car was delayed on the way.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Are you aware that the car was travelling on a road filled with mud? Is the contention of the police correct that the road is narrow, there is no place for overtaking and it was filled with mud?

श्री लाल मुनी चौबे: नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है। न उसमें कीचड़ भरा था और न ही वह सिंगल रोड है जो एकतरफा जा सके। डबल रोड है, क्रॉस किया जा सकता है। इधर से जा सकते हैं और उधर से गाड़ी पास की जा सकती है। दूसरी गाड़ियां पास होती गईं और उन्हें पास होने दिया गया। केवल यह गाड़ी रोकी गई और रोक कर इतना धीरे चलाया कि एक जगह जहां मोटर साइकिल थी, उसे पास होना था, कहा कि श्री लाल मुनी चौबे जाएंगे, वह एमपी हैं उन्हें पार्लियामैंट पहुंचाना है, आप ऐसे गाड़ी चलाएंगे, कहा कि श्री लाल मुनी चौबे चाहे एमपी हों या राष्ट्रपति हों, पुलिस की गाड़ी ऐसे ही चलती है। जयप्रकाश चौराहे पर जब लोग खड़े हो गए तो मैं देर होने के कारण वहां इंतजार कर रहा था जो भवुआ में जयप्रकाश चौराहा है, उसके 20-25 गज पर जैसे एसपी का डेरा है, वैसे मेरा भी डेरा है। मैं घर से निकल कर झोला हाथ में लेकर इंतजार करने लगा और कहा कि मुझे जाना है। यह देखते हुए पता लगाया कि क्या हुआ है, 20-25 मिनट खड़े रहने के बाद दोनों गाड़ियां आगे-पीछे आ गईं। मैंने कहा कि यहां क्या कर रहे थे, गाड़ी नहीं मिलेगी, कहा कि यह गाड़ी रोके हैं, आगे-आगे चले हैं, हम को रास्ता नहीं दिया। मैंने पूछा कि क्यों रास्ता नहीं दिया?

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: You have mentioned in your statement that the distance to be covered in 10 kilometres. According to the police version, the distance is 100 yards.

श्री लाल मुनी चौबे: उसने कहा है कि मैंने 10 गज तक रास्ता नहीं दिया।

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: There is an ocean of difference between ten kilometres and 100 yards. How can we know that?

श्री लाल मुनी चौबे: मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप मेरी बात फिर से सुनिये, जो उन्होंने जवाब दिया है, स्टेट गवर्नमेंट से वैसे ही आता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसने एडमिट किया है कि 100 गज तक रोका जबकि वहां 10 किलोमीटर है ही नहीं।

MR. CHAIRMAN: This is generally the version given by the police to defend themselves. We cannot trust the version of the police outright.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN: Was the police aware that you were present in the hometown? Did you give any information to the police about your presence in the hometown? Generally they can come to know that their MP is there.

श्री लाल मुनी चौबे: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं जाऊं तो वहां सूचना दूं और अपने गृह जिले में दारोगा, कलेक्टर, एस.पी. सब को सूचना दूं। मैं एक जलसे में गया था और एक अच्छे आदमी के घर पर शादी का रिसैप्शन था। सभापति जी, आप जान सकते हैं कि मैंने बिहार में कभी अपने लिये सिक्यूरिटी नहीं मांगी। मैं अकेला चलता हूं और राइफल्स वाले एक-दो आदमी भी नहीं बैठते। मैं अपने बारे में नहीं कह सकता। मैं कोई अकेला आदमी नहीं हूं।

सभापति महोदय: मैं भी आपके बारे में जानता हूं कि आप अकेले ही बैठते हैं।

श्री लाल मुनी चौबे: सभापति जी, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है लेकिन इस देश में डैमोक्रेसी आने वाली नहीं है। जब तक आपके मन में ईर्ष्या की भावना रहेगी, यहां डेमोक्रेसी आने वाली नहीं है। जब एक गरीब आदमी ऊपर उठने लगता है तो धनी पड़ौसी जलने लगता है कि कल को वह गरीब था, आज एम.एल.ए., एम.पी. या पी.एम. हो गया है।

सभापति महोदय: चौबे जी, हमने आपकी बात सुन ली है। रूल्स के तहत जितना इन्साफ हो सकता है, हम करने का प्रयास करेंगे। अभी राशिद अल्वी साहब ने बताया कि एम.पी. के साथ अधिकारियों का किस तरह से व्यवहार रहता है, उसके बारे में एक मीटिंग में विचार करेंगे और ऐविडेंस लेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: चौबे जी, अभी आपने बताया कि पूरा मैटर एस.पी. की सूचना के लायक है और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ औब्स्ट्रक्शन्स किये थे, क्या किसी स्टेज पर पुलिस ने अपौलोजी मांगी?

श्री लाल मुनी चौबे: अपौलौजी तो नहीं, उस बारे में अपशब्द कहे। मैं वह भाषा नहीं बता सकता, बकवास किया और मेरे कहने लायक नहीं है। मेरे मन में एक हीन भावना आती है कि वह ठीक नहीं था। क्या आदमी को जिन्दा नहीं रहना चाहिये, कुछ न कुछ उठा लेना चाहिये। इमरजैंसी के दौरान गंगा जल के बीच में वाराणसी में मुझे खींचकर मारा गया था और मां की गाली दी थी। लेकिन इस वाकये में जो शब्द मुझे कहे गये थे, वे आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैंने संसद में जब मामला उठाया तब भी मैं उन शब्दों को नहीं कहना चाहा था और आज भी उस बात को नहीं कहना चाहता। अपौलोजी तो दूर की बात रही, उन्होंने मेरे साथ अपशब्दों के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसने गाली का काम किया।

सभापति महोदय: चौबे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने बयान दिया।

(साक्षी चला गया)

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Thursday, 13 November, 2003

PRESENT

Shri S. Jaipal Reddy — *Chairman*

MEMBERS

2. Shri Raashid Alvi
3. Shri Bhartruhari Mahatab
4. Shri Shivraj V. Patil
5. Shri Varkala Radhakrishnan
6. Sardar Buta Singh

SECRETARIAT

Shri V.K. Sharma — *Director*

Shri Ravindra Garimella — *Under Secretary*

Shri Ashok Sajwan — *Assistant Director*

WITNESSES

1. Shri J.S. Gangwar, Superintendent of Police, Kaimur, Bihar
2. Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar

The Committee met at 11.00 hours.

EVIDENCE OF SHRI J.S. GANGWAR,
SUPERINTENDENT OF POLICE, KAIMUR, BIHAR

Shri J.S. Gangwar, the then Superintendent of Police, Kaimur, Bihar

MR. CHAIRMAN: Gangwarji, you have been asked to appear before the Committee to give evidence in connection with the notice of question of privilege given by Shri Lal Muni Choubey, M.P., against you for allegedly obstructing him from attending the sitting of the House.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give by the Committee is to be treated as confidential till the report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House.

The evidence that you may give before the Committee would be reported to the House. The evidence that you may give is also protected and no action can be taken against you in respect of anything said by you before the Committee.

You may kindly take the oath.

(Oath taken by Shri J.S. Gangwar in Hindi)

MR. CHAIRMAN: Before we go into the question, do you want to make any introductory remarks or general observations?

SHRI J.S. GANGWAR: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: What have you got to say on that?

श्री जे.एस. गंगवार: महोदय, यह मामला माननीय सांसद महोदय द्वारा 20 फरवरी का बताया जा रहा है। उस दिन मैं भभुआ जिले, जोकि मुख्यालय है, में उपस्थित था। माननीय सांसद महोदय ने मुझे टेलीफोन पर संभवत: 25 फरवरी को इस संबंध में कहा था। तब मैंने उनसे यह कहा था कि यह मुझे पहली बार बताया जा रहा है और मैं इस पूरे मामले की तहकीकात करूंगा, जो मामला आपने बताया है और इस मामले में पदाधिकारी से भी पूछना आवश्यक है। उसी क्रम में मैंने थानाप्रभारी से पूछताछ की थी। मैंने थानाप्रभारी वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी ली थी। थानाप्रभारी ने जो घटनाक्रम बताया था और माननीय सांसद महोदय द्वारा जो घटनाक्रम मिला है, उसमें अन्तर है। थानाप्रभारी ने बताया कि वे 20 फरवरी को कोर्ट के कार्य से थाना चैनपुर, जोकि मेरे ही जिले का थाना है, उससे तकरीबन दस किलोमीटर दूर, कोर्ट कार्य के लिए रोड से आ रहे थे। थानाप्रभारी ने बताया कि वे उस दिन सरकारी ड्राइवर न होने की वजह से वे स्वयं अपनी गाड़ी चला रहे थे। इसी बीच रास्ते में भभुआ क्षेत्र से करीब पांच किलोमीटर पहले पीछे से एक गाड़ी से हार्न सुनायी दिया। चूंकि रोड खराब थी, सिंगल रोड थी और रोड के दोनों तरफ मिट्टी पड़ी हुई थी, दो दिन पहले बरसात होने के कारण रोड खराब हो गई थी। इसलिए उस गाड़ी को तत्काल, इम्मीडिएटली-पास नहीं दिया जा सका और तकरीबन सौ मीटर दूर जाकर थानाप्रभारी ने अपनी गाड़ी बांय की ली और पीछे से वह गाड़ी निकल गई। थानाप्रभारी ने बताया कि आगे जाकर भभुआ जिले में ही जयप्रकाश चौक है, वहां पर वह गाड़ी दिखाई दी और उसमें से युवकों ने निकलकर थानाप्रभारी की गाड़ी को रुकने का इशारा किया। इस पर थानाप्रभारी ने गाड़ी को रोका और उस गाड़ी में से माननीय सांसद के पुत्र श्री हेमन्त चौबे निकले और कहने लगे कि एएसआई, निसार खां कौन हैं और वे मेरी गाड़ी के काले शीशे क्यों उतरवाना चाहते हैं। काले शीशे मेरी गाड़ी में रहेंगे। थानाप्रभारी ने बताया, उन्होंने उनसे कहा कि मैं थानाप्रभारी हूं, अगर आपको कोई शिकायत करनी है, तो मुझसे करिए। इस पर मुझे थानाप्रभारी ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं सांसद का बेटा हूं, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, मैं डी एम या एस पी से ही बात करता हूं। उन्होंने कहा कि आप थाने के लोग हैं, आप लोगों को मैं मजा चखा दूंगा। इतना कहने के बाद सभी नवयुवक गाड़ी में बैठकर घर की ओर चले गए। इन सब बातों की जानकारी मुझे सांसद महोदय ने टेलीफोन पर दे दी थी। मैंने थानाप्रभारी से पूछा--क्या उस समय उसमें सांसद महोदय बैठे हुए थे? उन्होंने कहा—उसमें सांसद महोदय नहीं बैठे हुए थे। मैंने पूछा--आपको क्या सांसद महोदय के बारे में जानकारी थी कि वे भभुआ जिले में आए हुए हैं? उन्होंने कहा--मुझे जानकारी नहीं थी और न ही मुझे किसी ने गाड़ी में बताया कि वह गाड़ी किस प्रयोजन के लिए जा रही थी। इन सब बातों की जानकारी मुझे जब हुई, तो मैंने सांसद महोदय को टेलीफोन पर सारी बातें रात्रि में बता दी थी। इस पर सांसद महोदय मुझे संतुष्ट नजर आए, आश्वस्त नजर आए। फिर भी मैंने सांसद महोदय से कहा और बाद में थानाप्रभारी से भी कहा कि माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनके साथ आपका उचित सम्मान और व्यवहार होना चाहिए

और कोई भी शिकायत किसी से भी नहीं मिलनी चाहिए। इस संदर्भ में मेरी इतनी ही बातें हुई थीं। इसके बाद फिर 8 मार्च को मुझे यहां से नोटिस प्राप्त हुआ और उस नोटिस का जवाब आधे घन्टे में लिखित रूप में मांगा गया, जो कि आधे घन्टे में दे दिया गया। मुझे मालूम चला है, डीआईजी को भी संभवत: जांच का आदेश मिला है। हमारे डीजी ने दिया है। वे भी इस संबंध में तहकीकात करने आए। सभी लोगों के बयान उन्होंने लिए और माननीय सांसद के पुत्र, श्री हेमन्त चौबे जी को भी चिट्ठी के द्वारा बुलाया गया था। वे संभवत:, जहां तक मेरी पर्सनल जानकारी है, वे अभी उस जांच में डीआईजी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। मेरी डीआईजी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि संभवत: इसी कारण वे अपनी रिपोर्ट फाइनल नहीं कर सके हैं। मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है।

MR. CHAIRMAN: Do you think it will be useful to call the DIG for his report, or has he not finalised the report?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: उनकी रिपोर्ट मंगवा लीजिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपने किसी स्टेज पर पर्सन-टू-पर्सन बात की है, श्री लालमुनी चौबे जी से?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: पर्सन-टू-पर्सन नहीं हुई है, टेलीफोन पर ही बात हुई है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: फोन के अलावा आमने-सामने कभी बात हुई है?

श्री जे॰एस॰ गंगावार: जी नहीं। मैंने अपने इलाके में उनको कभी नहीं देखा है। मैं उनका चेहरा नहीं पहचानता हूं।

MR. CHAIRMAN: The charge of the Member is that you also did not reply courteously to him when he lodged a complaint with you on telephone.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: अगर सांसद महोदय का ऐसा कोई आब्जर्वेशन मेरे प्रति रहा है, तो मैं अपने माध्यम से क्षमाप्रार्थी हूं। सांसद महोदय को मेरा जवाब खराब लगा हो या किसी भी चीज से पीड़ा पहुंची हो, मैं पर्सनली क्षमाप्रार्थी हूं। मेरी कभी ऐसी कोई मंशा नहीं रही है। इन्फैक्ट मैं लगातार अपने पधाधिकारियों को बोलता हूं कि हमेशा उचित सम्मान और व्यवहार प्रतिनिधियों को देना है।

MR. CHAIRMAN: You tried to tell the MP that his version about the incident was wrong and rubbish. Did you say that?

SHRI J.S. GANGWAR: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: You did not say that.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मैंने सांसद महोदय को यह कहा कि आपने जो बात कही है, थाना प्रभारी का जो बयान आया है, उस गाड़ी में बैठे बाकी पदाधिकारियों का कहना है कि आपके बेटे ने उनको कहा था, धमकी दी थी जिस को थाना प्रभारी ने दर्ज भी किया है। यह वर्जन जो मेरे सामने आया जिस की मैंने इनक्वायरी की थी, पूछताछ से बात पता चली थी।

MR. CHAIRMAN: Did you speak to the MP on telephone or in person?

SHRI J.S. GANGWAR: I spoke to him over phone.

MR. CHAIRMAN: That means, you had telephonic talk with the hon. Member twice on the issue—first time, when he complained and second time, after you enquired the matter reported.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मुझे ऐसा स्मरण है कि दो बार बात हुई है।

MR. CHAIRMAN: The complaint of the hon. Member is that the District Administration is unhappy with you and therefore, they wanted to settle scores with you.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: ऐसा कोई भी मामला नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे माननीय सांसद का यह ऑबजर्वेशन सही प्रतीत नहीं होता। ऐसा कोई मामला पूर्व में भी नहीं रहा है। मैं उस जिले में अगस्त से पद:स्थापित हूं।

MR. CHAIRMAN: He has no personal grudge against you. He did not say that. You were new at that time. But when your predecessor happened to attack the entire Administration and therefore, the District Administration was hell-bent on settling scores with him.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मैं उस जिले में जब से पद:स्थापित हुआ हूं माननीय सांसद से मेरी पहली बात हुई थी। ऐसा कोई भी मामला या संबंधित मामला मेरी जानकारी मैं नहीं आया है और न ही उनके परिवार से संबंधित मामला मेरे प्रकाश में आया था। इसलिए माननीय सांसद का यह ऑबजर्वेशन उचित नहीं है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उनका कहना है कि वह 21 तारीख को लौट कर सबसे पहले आपके डेरे पर गए। वह 21 तारीख को दिल्ली से वापस गए, आपके डेरे में भी वहां बात हुई लेकिन आपने उनको बहुत डिसकर्टियस रिप्लाई दिया।

श्री जे॰एस॰ गंगवार: 21 तारीख को मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है और कोई बात नहीं हुई है। मेरी पहली बात 25 फरवरी को संभवत: हुई है। जैसा नोटिस है, उसके अनुसार वह 20 को दूसरी ट्रेन पकड़ कर 21 को दिल्ली आए हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उन्होंने लिखा है कि मैं सबसे पहले एसपी के डेरे पर गया। मैंने बताया कि आपने मुझे संसद सत्र अटैंड करने नहीं दिया जबकि मैंने अपने लीडर्स से कहा था कि मैं 20 तारीख को आ जाऊंगा लेकिन मैं नहीं पहुंच सका, क्योंकि आपके कारण इसमें बाधा पड़ी, मुझे कहा गया कि आप बकवास कर रहे हैं।

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मेरी 21 तारीख को माननीय सांसद महोदय से कोई मुलाकात नहीं हुई है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या 22 को हुई है?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: 22 को भी नहीं हुई है। मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हुई है।

श्री चिन्तामन वनगा: आप भभुआ में कितने साल से हैं?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मैंने अगस्त, 2002 में ज्वाइन किया। उसके बाद से वहां लगातार हूं।

श्री चिन्तामन वनगा: आपका कमरा और एमपी साहब का कमरा साथ-साथ हैं। क्या मकान भी पड़ोस में हैं?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: माननीय सांसद भभुआ शहर में कहां रुकते हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न अभी है। उनका गांव में जो घर है वह मुझे पता है।

श्री चिन्तामन वनगा: आपका कमरा और इनका कमरा करीब 20—25 गज के अन्तर में है।

श्री जे॰एस॰ गंगवार: माननीय सांसद महोदय मेरे जिले के चैनपुर थाने के अंतर्गत गांव के हैं। उस गांव में उनका जो घर है, मुझे उसकी जानकारी है भभुआ शहर में जब वह आते हैं वह कहां रुकते हैं, इसकी न मुझे पहले जानकारी थी और न अभी है। मुझे यह पता नहीं था कि वह कब जाने वाले हैं। वह 20 तारीख को उस जिले में थे हम को उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। माननीय सांसद महोदय ने सर्वप्रथम टेलीफोन करके मुझे 25 फरवरी को बताया था कि इस तरह से घटना हुई।

श्री चिन्तामन वनगा: वह आपके सामने रहते हैं, फिर भी आपने इनको मिलने की कोशिश नहीं की।

श्री जे॰एस॰ गंगवार: 25 फरवरी को मुझे बताया गया था। उस समय कहा था कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं। उसके बाद भभुआ शहर में उनके जाने या आने की सूचना नहीं मिली है। माननीय सांसद का बक्सर निर्वाचन क्षेत्र है। वह कभी-कभी अपने पैतृक जिले भभुआ में जाते रहते हैं।

श्री चिन्तामन वनगा: भभुआ डिस्ट्रिक्ट है। मेन रोड में जहां घटना घटी क्या वह डबल रोड है?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: भभुआ शहरी क्षेत्र में डबल रोड है। बाहर जहां दूर थाना है वह सिंगल रोड है। जिस रोड की बात की जा रही है वहां चैनपुर थाना 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वह सिंगल रोड है। अभी उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है।

श्री चिन्तामन वनगा: क्या वह अभी डबल रोड है?

श्री जी॰ एस॰ गंगवार: अभी डबल रोड की जा रही है। भभुआ चैनपुर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या आपने एसएचओ को डायरैक्शन नहीं दिया कि जाकर मिल कर बात करो कि क्या बात हुई? वह आज तक उनसे मिले नहीं है। और न ही बात हुई। किसी लैवल पर एपोलोजाइस नहीं किया, कोई भी इंटरैक्शन नहीं हुआ। क्या आप एमपी को इतना लाइटली लेते हैं जबकि आपकी जानकारी में यह बात आ गई थी। आपके ऑफिसर ने भी किसी स्टेज पर एपोलोजाइस नहीं किया या बात नहीं की। उनको बताया नहीं है कि आपके लड़के ने ऐसा किया। एक सिम्पल करटसी होती है जबकि आपका इलाका नक्सलवाद प्रभावित है। आपको वहां की खबर रखनी चाहिए। आपके एसएचओ को एमपी या एमएलए से जान-पहचान रखनी चाहिए। कोई वारदात होने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: मैंने उसे हमेशा के लिए ऐसे निर्देश दिए हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: निर्देश के अलावा जिम्मेदारी क्या होती है, क्या वह आपको मालूम है? जो इलाके के महत्वपूर्ण लोग हैं आप उनसे सीधे बात करिए। जहां इनसरजैंसी चलती है, वहां काम करने के एट्टीट्यूज में इतना लैक है यह बात मेरी समझ में नहीं आई । दोनों में इतना डिस्टैंस है कि वह आज तक उनसे मिले नहीं हैं।

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: उसके बाद थाना प्रभारी की ट्रांसफर हो गई।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उन्हें जाकर मिलना चाहिए था।

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: वह दूसरे जिले में चले गए। उस बीच में संभवत: नहीं जा सके होंगे। मैंने उनसे पूछा था। उसने यह बात कही थी कि मैं नहीं मिल सका, यह मेरी गलती है।

श्री चिन्तामन वनगा: भभुआ से एमपी के गांव बक्सर में कितना डिस्टैंस है?

श्री जी॰ एस॰ गंगवार: उनका गांव चैनपुर थाने में है। उनका बकसर संसदीय क्षेत्र है और वह दूसरा जिला है।

श्री चिन्तामन वनगा: एमपी साहब जहां रहते हैं, भभुआ और इसमें कितना अन्तर है?

श्री जी॰ एस॰ गंगवार: तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर होगा। अगर आप भभुआ शहर में जायेंगे तो पहले चैनपुर थाना पड़ता है, जिसकी बात की गई है। और उसके बाद गांव आता है।

श्री चिन्तामन वनगा: क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि 20—25 किलोमीटर पर कोई इंसीडेंट हुआ है, आप उसकी इंक्वायरी कराये?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: माननीय सांसद से मेरी टेलीफोन पर बात हो गई थी। उसके बाद कभी हमारे जिले में आये हों, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपको यह नोटिस कब मिला था।

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: यह नोटिस 8 मार्च को मिला था।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या उसके बाद इस बारे में एम॰ पी॰ साहब से बात हुई।

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: उसके बाद बात नहीं हुई।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्यों नहीं हुई? शायद आपको लगा कि यह खेल हो रहा है This is not a relevant case. अगर कोई पार्लियामेंट का प्रीवलेज नोटिस मिलता है तो यह एक सिंपल प्रेक्टिस है कि आदमी जाकर एम॰ पी॰ से पूछता है कि क्या बात हुई है, क्या नाराजगी है लेकिन आप आज तक क्यों नहीं मिले?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: यह गलती हो गई, मैं यह मानता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या आप प्रोटोकोल जानते हैं?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: मैं समझता हूं कि गलती हुई है और स्पेशली थाना पदाधिकारी और हम दो लोगों को उनसे मिलकर बात कर लेनी चाहिये थी लेकिन मेरी एक बार जब उनसे बात हो गई थी तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि वे मेरी बात से संतुष्ट हैं।

सभापति महोदय: क्या आपका यह इम्प्रेशन था कि वे सैटिसफाई हो गये हैं लेकिन उसके बाद जब उनका प्रीवलेज मोशन एडमिट हुआ और आपको नोटिस आया, क्या उसके बाद आपने उनसे कोई कांटैक्ट करने का प्रयास नहीं किया, ऐसा माननीय सदस्य आपसे पूछ रहे हैं?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: उसके बाद प्रयास नहीं कर सके।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: This is very serious.

MR. CHAIRMAN: You took the privilege notice also very lightly.

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: ऐसा नहीं है।

MR. CHAIRMAN : In fact, hon. MP, Shri Chaubey alleged that you used very, very unprintable kind of language against him.

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: मैंने ऐसा कोई भाषा यूज नहीं की और मुझे याद भी नहीं है मैंने ऐसा कुछ कहा। फिर भी मैं यही कहता हूं कि अगर ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई तथ्य या मेरी कोई बात उन्हें खराब लग गई हो तो उसके लिसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं मैं पर्सनली क्षमा प्रार्थी हूं और as an SP of the district, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

MR. CHAIRMAN : Even the sub-inspector against whom the complaint was lodged did not bother to meet the hon. MP and clarify to him. This is all extraordinary. You are still the SP there and the MP stays in your area. You did not establish contact with him even after receiving the privilege notice. This is really extraordinary.

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: इस प्रीवलेज नोटिस मिलने के बाद हमारे डीआईजी इसकी इंक्वायरी करा रहे थे, उस समय हम लोगों को ऐसा समझ में नही आ सका कि रिटन रिप्लाई के अलावा जाकर उनसे बात कर लेते तो अच्छा होता।

MR. CHAIRMAN : The hon. MP felt terribly upset, otherwise he would not have given notice. At that time you should have established contact with him. But you did not bother. That is why he made allegations against you. That shows that you could have been guilty of everything that you were accused of.

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: नहीं, मैंने उनसे जो बातचीत की थी, उससे वे संतुष्ट नजर आये थे। उसके बाद यह जवाब आया था जिसे हमने भेज दिया।

MR. CHAIRMAN : You did not bother to meet him.

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: दूसरे जिले में जाने के कारण वे संभवत: नहीं मिल पाये होंगे।

MR. CHAIRMAN : You did not ask the SI to go and explain the case to the MP, nor did anybody go on your behalf, nor did you talk to him after receiving the notice. The SI says that the son of the MP had lodged a similar complaint against another ASI earlier to this. Is it true?

श्री जे॰ एस॰ गंगवार: वह स्टेशन डायरी हुई है। रोजनामचे में एक एंट्री दर्ज हुई है जो उसके बाद में इंक्वायरी हुई। हमारे डीआईजी आये, उनके सामने इंक्वायरी हुई, मैं उस समय प्रेजेंट था। उस समय यह बात प्रकाश में आई कि इस घटना से 4-5 महीने पहले एक दूसरी घटना दो महीने पहले हुई थी जब थाना के पदाधिकारी गाड़ी चैक करने के लिए या किसी ऐसी बात पर जब थाना पदाधिकारी ने गाड़ी चैक करने की कोशिश की, उन्होने कुछ अभद्र व्यवहार करते हुये कहा, जिसकी मात्र स्टेशन डायरी में एंट्री हुई है। No case was registered in that matter. Nothing was pursued later on.

MR. CHAIRMAN : The SI made a point to disclose that particular entry. What was the point?

SHRI J.S. GANGWAR : I am not aware. I am aware that two entries in the station diary were made in the earlier months one by the officer in charge, one by another ASI of the police station.

MR. CHAIRMAN : There were two complaints of the MP's son earlier to this incident. There was not one but two. What were these two?

SHRI J.S. GANGWAR: Two entries prior to this entry which is the third entry.

MR. CHAIRMAN: What do those entries say?

SHRI J.S. GANGWAR : Those entries say that the vehicle was being checked by the police for the named criminal who was later on killed by the UP police in an encounter on the specific information that he was moving in that van. The officer in charge tried to check the vehicle. उस पर माननीय सांसद के बेटे ने कहा कि आप हमेशा मेरी गाड़ी चैक करते रहते हैं, यह ठीक नहीं है। इस कहा-सुनी की बात को दर्ज किया गया है और उसके बाद एक एंट्री और है जब एक ए.एस.आई. बाजार में चैक करने के लिए गऐ हुये थे वहां इनकी गाड़ी ने थाने की गाड़ी का रास्ता रोका और निकलकर गये तथा चौक में गाड़ी लगायी जहां पर इन लोगों ने फिर कहा कि हमारी गाड़ी चैक करते हो, यह बात ठीक नही है। इस कहा-सुनी से मैटर हॉट डिस्कशन के लैवल पर आ गया जिसकी स्टेशन डायरी ए.एस.आई. ने की।

MR. CHAIRMAN : We will allow those matters to be raised there. We will pick them up later. What is worrying us is that you did not take note of the privilege notice seriously enough.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: नहीं, मैंने इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया है और अपना जवाब भेजा है।

MR. CHAIRMAN: The hon. MP is quite a senior person, a senior politician and more than that, a middle-aged person. Why could you not show courtesy to him while enquiring about his grievances? Why should the SP not show courtesy to a Member of Parliament? He is an old man.

SHRI J.S. GANGWAR: I agree, Sir.

MR. CHAIRMAN: Why did you not show the courtesy? You are not able to offer any convicing explanation.

श्री जी॰ एस॰ गंगवार: इस नोटिस के मिलने के बाद जब इंक्वायरी डीआईजी द्वारा शुरू हुई तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बीच में जम्प करते हुये उनसे बात करता।

सभापति महोदय: आप डीआईजी से परमिशन लेकर बात कर सकते थे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: It was a matter of conduct. You are personally accountable for your conduct. यहां तक केस ही नहीं आना चाहिये था। सैंस ऑफ कन्फलिक्ट ब्यूरोक्रेसी और पौलिटिशियन्स के बीच में है। यह एम॰पी॰ का प्रीवलेज है। वह अपने ऐरिया का रैस्पैक्टेबल पर्सन होता है। वह कोई क्रिमिनल नहीं है, क्या उनकी बैकग्राइंड शैबी है?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: नहीं, ऐसा तो नहीं है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपको इस बारे में क्या दिक्कत थी? आपके पास उनका टेलीफोन नं॰ रहता, अगर आप उनसे बात कर लेते तो आपको क्या दिक्कत थी?

MR. CHAIRMAN: Sir Lal Muni Chaubey is of course a Member of Parliament; among the Members of Parliament, there is no question of seniority. Even otherwise, he has been a politician for decades. एक वरिष्ठ नेता हैं। एक्स एम॰पी॰ और एक्स मिनिस्टर भी होते हैं। The SP should show courtesy. Were you not trained to do this as SP? What kind of training were you given?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: इस मामले के बाद कभी हमारे जिले में उनका आना नहीं हुआ।

सभापति महोदय: वह आपके जिले में आते रहते हैं। He comes from a village in your jurisdiction. He stays in the heqdquarters; and the MP says that he lives just a few yards away from your own house in the district headquarters, and that you go over the place where the MP stays in the town.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: इस मामले के बाद उनके आने की मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, उस समय भी कोई जानकारी नहीं मिली थी, उस दिन भी कोई जानकारी नहीं मिली थी।

MR. CHAIRMAN: You are a young man. You have a long way to in your career. Should you not be that much sensitive to take care of these matters? You are the SP for the whole district. There could be a conflict between politicians and politicians, between party and party, but why should there be a conflict between SP and MP?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: हमारा कोई कंफ्लिक्ट नहीं है और न रहेगा। जिले की पुलिस द्वारा और व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा कोई कंफ्लिक्ट नहीं है।

MR. CHAIRMAN: The hon. MP was truthful enough to say that he never had any bad experience with you before this. He had no personal grievance against you. He was aggrieved by the way you treated him, when he spoke to you.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मेरी उनसे केवल टेलीफोन पर बात हुई है। उस पर मैं कहूंगा कि मैंने उन्हें जवाब दिया था, सारी बातें मैंने उन्हें बताई थीं, जो थाने के लैवल से मेरी जानकारी में आई थीं। उसके बाद कभी भी उनके भभुआ आने की जानकारी व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं हो सकी और मैं कभी दिल्ली आकर उनसे नहीं मिल सका हूं। अब जब भी वह भभुआ आएंगे, मैं उनसे मिलूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अगर आपको एम॰पी॰ के आने-जाने का पता नहीं लगेगा तो नक्सलाइट्स के मूवमैन्ट का आप कैसे पता लगायेंगे। पुलिस के मायने क्या होते हैं—विजिलेंस, आपको हर चीज की नॉलिज होनी चाहिए।

MR. CHAIRMAN: As SP, you should have a Special Branch at the district level and the Special Branch works under you. So, the Special Branch would have an idea as to which MLA, which MP, which Ex-MP or which Ex-Minister stays in the town and where. The Special Branch should be able to keep an eye on this at least. हमारे जिले में हम कहां ठहरते हैं उसके बारे में आई॰जी॰, डी॰आई॰जी॰ आदि को मालूम होता है कि साहब अक्सर यहां आते रहते हैं।

SHRI RAVI PRAKASH VERMA: It is a simple practice.

MR. CHAIRMAN: I am not saying that the SP's job is to keep an eye on the movement of MP. What I am saying is that the Special Branch working under you would keep an eye on all these things. They would have to watch so many things.

How can SP say that the MP does not represent any part of the jurisdiction, that he is merely born in the village, which is a part of my jurisdiction, and that he may be visiting my area, which I would not know at all? After all this, you are saying so.

श्री जे॰एस॰ गंगवार: मेरा कहने का यह आशय था कि उसके बाद से मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अब यदि वह हमारे जिले में आयेंगे तो मैं उनसे मिलूंगा, मैं आश्वासन देता हूं। जिले की पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा कभी ऐसा नहीं हुआ है।

MR. CHAIRMAN: You are a direct recruit, I presume. Are you?

SHRI J.S. GANGWAR: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: You are a highly educated person. I do not think you need to sufficient experience to do all these things. Your education should be able to stand you in good stead. You are recruited directly because of your performance in the competitive examination. Coming out of competitive examination does not mean doing well in the subjects alone; you should have some worldly approach also.

Anyhow, we are rather pained to note your indifference in spite of the notice that you have received; and that is not understandable. We will leave it at that.

When is the DIG likely to complete the inquiry?

SHRI J.S. GANGWAR: He should be able to do it. I cannot say on his behalf. I think, he can do it within 15-20 days. That is my view. It depends on him. He was saying that he should also get the feedback from the son of the hon. MP, who was there in the vehicle. So, he has sent two notices, but he could not contact.

MR. CHAIRMAN: But the MP says that he talked to the SI at Jayaprakash Chowk. But the SI says that he did not meet the MP at Jayaprakash Chowk. Which do you think is correct?

श्री जे॰एस॰ गंगवार: जहां तक मुझे याद है माननीय सांसद ने मुझसे बातचीत के क्रम में यह बात नहीं कही कि मैंने जयप्रकाश चौक पर जाकर एस॰आई॰ से बात की है। थाना प्रभारी ने मुझे नहीं बताया, बाकी पदाधिकारियों ने भी मुझे ऐसा नहीं बताया। मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि उसके बाद वे सब गाड़ियां चली गईं, जो उनके घर पर गई होंगी। उसमें उनके बेटे और वकील थे, जिन्होंने घर पर जाने के बाद इंसीडैन्ट के बारे में बताया होगा। स्वयं उनके जयप्रकाश चौक पर आने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

MR. CHAIRMAN: Okay. We will leave it at this. We will take a view on this. Thank you.

The meeting then adjourned.

2. Shri Ajay Prasad, the then SHO, Chainpur Police Station, Kaimur, Bihar

MR. CHAIRMAN: Shri Ajay Prasad, you have been asked to appear before the Committee to give evidence in connection with the notice of question of privilege given by Shri Lal Muni Chaubey, M.P. against you for allegedly obstructing him from attending the sitting of the House.

I may inform you that under rule 275 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, the evidence that you may give before the Committee is to be treated as confidential till the Report of the Committee and its proceedings are presented to Lok Sabha. Any premature disclosure or publication of the proceedings of the Committee would constitute a breach of privilege and contempt of the House. The evidence that you may give before the Committee would be reported to the House. The evidence that you may give is also protected and no action can be taken against you in respect of anything said by you before the Committee.

You may now take the oath.

SHRI AJAY PRASAD: I, Ajay Prasad, swear in the name of God that the evidence that I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false.

सभापति महोदय: आपके पास नोटिस पहुंचा था। अगर आप पहले कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री अजय प्रसाद: मुझसे एसपी साहब द्वारा लिखित में मांगा गया था। मैंने लिखकर दे दिया। 20 तारीख को मैं थाने से श्री राम लखन सिंह, श्री निसार खां, श्री जलेसर राम के साथ भभुआ कोर्ट जा रहा था। बीच रास्ते में एक गाड़ी ने पीछे से हार्न दिया। दोनों साइड कीचड़ था। वहां सिंगल रोड है। 50-100 गज आगे जाकर रास्ता मिलने पर मैंने उस गाड़ी को पास दिया। वह गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। वहां से भभुआ की दूरी मात्र पांच किलोमीटर होगी। आगे जयप्रकाश चौक है। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वह गाड़ी रुकी हुई है। उसमें सांसद महोदय के पुत्र श्री हेमन्त चौबे के साथ दो-तीन लड़के और थे। उन्होंने गाड़ी रोकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी रोक दी। वे कहने लगे कि चार-पांच दिन पहले चैकिंग के समय हमसे आग्रह किया गया था कि ब्लैक शीशों को लाइट करवा लीजिए। एएसआई ने उनसे चैकिंग के समय वह कहा था। उन्होंने कहा कि निसार खां कौन हैं, मैं उनको बता दूंगा। इस तरह से धमकी दी थी। मैंने उनके अभद्र व्यवहार के संबंध में लौटकर सलाह की थी। उस दिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ।

सभापति महोदय: यह आरोप था कि आपने गाड़ी में रहते हुए उनको साइड नहीं दी।

श्री अजय प्रसाद: मैंने साइड दी थी।

सभापति महोदय: आपको साइड देने में दो घंटे तक देरी हुई।

श्री अजय प्रसाद: भभुआ से चैनपुर की दूरी मात्र दस किलोमीटर है। मैं कोर्ट के काम के लिए चैनपुर थाने से आगे बढ़ गया था। पीछे से एक गाड़ी आई थी। जब उस गाड़ी ने पास मांगा, उस समय दोनों ओर कीचड़ था। 50-100 गज आगे जाने के बाद मैंने गाड़ी को साइड दी। मैं स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके बाद वह गाड़ी तेजी से निकल गयी।

सभापति महोदय: गाड़ी में कौन था, क्या आपने देखा था?

श्री अजय प्रसाद: गाड़ी तेजी से निकल गई थी, मैं देख नहीं पाया था। वहां कीचड़ था, मैं वह देख रहा था, साइड से गाड़ी तेजी से निकल गई।

सभापति महोदय: जयप्रकाश चौक के पास क्या हुआ?

श्री अजय प्रसाद: उन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। उसी के बगल में कोर्ट और एस॰ पी॰ का कार्यालय भी है।

सभापति महोदय: क्या माननीय सांसद, श्री लाल मुनि चौबे भी जयप्रकाश चौक के पास आ गए थे?

श्री अजय प्रसाद: वहां माननीय सांसद महोदय नहीं थे।

सभापति महोदय: फिर उन्होंने एस॰ पी॰ से क्यों बात की?

श्री अजय प्रसाद: मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि हम करीब दो घंटे तक कोर्ट में रहे, उसके बाद लौटे।

सभापति महोदय: जयप्रकाश चौक पर आपसे किसने बात की?

श्री अजय प्रसाद: माननीय सांसद के लड़के श्री हेमन्त चौबे ने की।

सभापति महोदय: क्या वहां लाल मुनि चौबे जी नहीं थे?

श्री अजय प्रसाद: जी नहीं।

सभापति महोदय: क्या श्री चौबे ने एसपी से भी बात की थी?

श्री अजय प्रसाद: उस दिन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय: क्या उन्होंने टेलीफोन पर बात की थी?

श्री अजय प्रसाद: जी नहीं।

सभापति महोदय: क्या आपके पास कोई जानकारी नहीं है?

श्री अजय प्रसाद: जी नहीं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: चौबे जी के लड़के ने आपसे क्या कहा?

श्री अजय प्रसाद: पास लेने के समय कुछ नहीं कहा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आगे जाकर आपसे उन्होंने क्या कहा था?

श्री अजय प्रसाद: सबसे पहले वह रुकने के साथ ही ए.एस.आई. निसार खां को खोज रहे थे कि वह कौन है, जिसने उन्हें चैकिंग के समय गाड़ी के काले शीशे उतारने के लिए कहा था।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: इसका मतलब आपसे बदतमीजी की?

श्री अजय प्रसाद: मेरे साथ कुछ नहीं किया। हमने कहा कि आप बताएं क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, निसार खां से बात करूंगा।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपने यह एस.पी. से कहा।

श्री अजय प्रसाद: वह बगल में थे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या चौबे साहब भी वहीं थे?

श्री अजय प्रसाद: वे वहां नहीं थे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या आपने बाद में इस घटना के बारे में सांसद महोदय को बताया कि आपके लड़के ने एसी बात की?

श्री अजय प्रसाद: हमें जानकारी नहीं थी कि वे चैनपुर में हैं या ये कौन हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: उनका कहना है कि आपने दो घंटे रास्ता नहीं दिया।

श्री अजय प्रसाद: यह बात नहीं है। थोड़ी दूर पास देने में थोड़ा विलम्ब हुआ था।

सभापति महोदय: आपको एस.पी. साहब ने इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिए थे सांसद को या उनके परिवार को सताने के लिए।

श्री अजय प्रसाद: ऐसी कोई बात नहीं हुई।

सभापति महोदय: फिर साइड क्यों नहीं दी?

श्री अजय प्रसाद: जगह मिलने पर 50-100 गज के बाद पास दे दिया था, क्योंकि वहां कीचड़ था।

सभापति महोदय: सांसद साहब ने शिकायत की थी एस.पी. से, क्या उन्होंने आपसे बात की?

श्री अजय प्रसाद: उस समय हम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र अथौरा में छापे के लिए गए हुए थे। वहां हमें टेलीफोन पर जानकारी मिली थी। जो बात आपने बताई, हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी दूर पास देने में दिक्कत हुई, उसके बाद पास लेकर वे आगे बढ़ गए और आगे जाकर हमारी वेट कर रहे थे। पहले भी इसी तरह तक ए.एस.आई. धुरंधर सिंह था, उससे भी पास लेने में हुआ था।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: जब आपको बुलाया गया तो क्या आप चौबे जी से मिले थे?

श्री अजय प्रसाद: उस समय हम छापामारी में थे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या बाद में उनसे मिले?

श्री अजय प्रसाद: मेरी बदली हो गई थी।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: फिर नोटिस आने के बाद मिले?

श्री अजय प्रसाद: जी नहीं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: आपने जरूरत नहीं समझी सांसद महोदय से मिलने की?

श्री अजय प्रसाद: मुझे दो दिन पहले ही नोटिस मिला है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अगर कोई बात हो जाती है तो सांसद से मिलकर बात की जा सकती है और बात खत्म हो सकती है। आपको कम से कम टेलीफोन पर ही बात करनी चाहिए थी।

श्री अजय प्रसाद: अगर कोई गलती हो गई है तो हम उनसे माफी मांग लेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: यह आपकी गलत एरोगेंस है।

श्री अजय प्रसाद: मेरी बदली उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में है, वहां छुट्टी नहीं मिलती है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: एस.पी. ने आपका नाम लेकर बोला है कि यह बात हुई है इसलिए आपको उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था, क्या ऐसा हुआ था?

श्री अजय प्रसाद: मैं जाकर मिल लूंगा। कोई गलती हो गई है तो माफी मांग लूंगा।

श्री रामजी मांझी: यह घटना कब हुई?

श्री अजय प्रसाद: फरवरी में।

श्री रामजी मांझी: फरवरी में बारिश नहीं होती है।

श्री अजय प्रसाद: उस समय बारिश हुई थी। नई मिट्टी किनारे पर डाली गई थी, उससे कीचड़ हो गया था।

सभापति महोदय: आपने देर तक पास नहीं दिया, सांसद जी के हिसाब से दस किलोमीटर तक पास नहीं दिया। आखिर में पास देने के बाद क्या बातचीत हुई थी?

श्री अजय प्रसाद: हमने पहले ही पास दे दिया था। पांच किलोमीटर, 50-100 गज की दूरी पर ही दे दिया था।

सभापति महोदय: आपने कहा था कि चाहे प्रधान मंत्री की गाड़ी हो या राष्ट्रपति की, हमारी गाड़ी ऐसे ही चलेगी।

श्री अजय प्रसाद: ऐसी बात नहीं हुई।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य का कहना है कि जयप्रकाश चौक के पास इंतजार कर रहे थे।

श्री अजय प्रसाद: गाड़ी गई थी, वह पूछ रहे थे कि नसीर खां कौन है।

सभापति महोदय: क्या आपने एम॰पी॰ साहब से बात की थी?

श्री अजय प्रसाद: वे वहां नहीं थे।

सभापति महोदय: बात किनसे हुई थी?

श्री अजय प्रसाद: हेमंत चौबे से।

सभापति महोदय: और कुछ आपको कहना है तो बताएं।

श्री अजय प्रसाद: हेमंत चौबे ने पहले भी दो बार इसी तरह आब्स्टेकल किया था। एक ए॰एस॰आई॰ थे, तब भी ऐसा किया था।

सभापति महोदय: इसका मतलब क्या हुआ। क्या हेमंत चौबे की यह आदत है, क्या आप यह कहना चाहते हैं? एम॰पी॰ साहब ने एस॰पी॰ से शिकायत की, उसके बाद आप सांसद महोदय से क्यों नहीं मिले और क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया?

श्री अजय प्रसाद: हमने जब एस॰पी॰ से पूछा था तो हम 60 किलोमीटर दूर अथौरा में थे।

सभापति महोदय: बाद में या एक सप्ताह के बाद आप मिल सकते थे और स्पष्टीकरण दे सकते थे।

श्री अजय प्रसाद: वह भभुआ में बहुत कम रहते हैं।

(श्री अजय प्रसाद का साक्ष्य समाप्त हुआ।)

APPENDICES

APPENDIX-I

(*Please see para 8 of Report*)

लाल मुनी चौबे
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

ए॰–1, एम॰एस॰ फ्लैट्स,
बाबा खड्ग सिंह मार्ग,
नई दिल्ली।

दिनांक 27.2.2003

सेवा में,

अध्यक्ष,
लोक सभा, नई दिल्ली।

विषय: नियम 222 के तहत विशेषाधिकार हनन की नोटिस

महोदय,

मैं 20 फरवरी को लोक सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए आ रहा था कि कैमूर जिले के पुलिस अधिकारियों की मनमानी का शिकार हो जाने से नहीं पहुंच सका। मैं बाबरपुर हवाई अड्डे से जहाज नहीं पकड़ सका। मुझे संपूर्ण क्रांति ट्रेन से दिल्ली आना पड़ा। इससे मैं 20 फरवरी को लोक सभा में उपस्थित रहने से वंचित किया गया।

घटना इस प्रकार है:—मैं कैमूर जिले का रहने वाला हूं। एक समाजिक दायित्व निर्वाह के लिए वहां गया था। इसमें शरीक होकर मैंने सोचा था कि 20 फरवरी की सुबह भभुआ से बाबरपुर पहुंचकर जहाज पकडूंगा। वहां (बाबरपुर) से जहाज तीन बजे छूटता है।

मैंने अपने लिए दस बजे गाड़ी मंगाई थी। मेरे लिए जो युवक गाड़ी लेकर चले, उन्हें चैनपुर थाने के सामने से थानेदार की गाड़ी ने रास्ता रोका और उसने दो घंटे तक मेरी गाड़ी के आगे–आगे बहुत ही धीमी गति से जीप चलाकर देर की। उसे जब बताया गया कि वह गाड़ी लाल मुनी चौबे, एम.पी. को जहाज पकड़वाने के लिए हम ले जा रहे हैं तो थानेदार ने अभद्रतापूर्ण आचरण किया। वह जोर–जोर से बोल रहा था कि एम.पी. हो या राष्ट्रपति, पुलिस की गाड़ी ऐसे ही चलती है। उसने केवल मेरी ही गाड़ी को रोका। इस तरह मैं भभुआ से दोपहर बाद ही निकल सका।

मुझे संदेह है कि यह अभद्र व्यवहार कैमूर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी अधीक्षक के संकेत पर थानेदार अजय प्रसाद ने किया, जिससे मैं लोक सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका।

महोदय, इस घटना को मैं सदन में उठाने और विशेषाधिकार समिति को सौंपने की आप से अनुमति चाहता हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे पुलिस ने सदन में आने से जबरन रोका है।

भवदीय,

ह॰/–
(लाल मुनी चौबे)

APPENDIX-II

(*Please see para 10 of Report*)

L.S. Debates dated 3.3.2003

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले 27 तारीख को नोटिस दिया है। मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। मैं अपनी बात सदन को बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। एक सांसद के साथ कहां तक पुलिस जा सकती है।

* * * *

अध्यक्ष महोदय: आप एक मिनट रुकिए। मैं देखता हूं कि राज्य सरकार के पास से क्या सूचना आई है।

* * * *

अध्यक्ष महोदय: चौबे जी, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न के बारे में राज्य सरकार से इंफार्मेशन मांगी है, जो अभी तक नहीं आई है। इंफार्मेशन आने के बाद तुरंत मैं आपको जो कुछ कहना है, वह कहने की इजाजत दूंगा। मैं समझता हूं कल तक इंफार्मेशन आनी चाहिए। मैं फिर एक बार उन्हें आज फैक्स भेज देता हूं।

* * * *

L.S. Debates dated 6.3.2003

* * * *

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्रीच आफ प्रीवलेज का नोटिस 27 फरवरी को आपको दिया था। आपने कहा था कि जब राज्य से कुछ जवाब आयेगा, तब मुझे बोलने के लिए अलाव करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि उस संबंध में क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: अभी तक मेरे पास कोई उत्तर नहीं आया। अगर सोमवार तक उत्तर नहीं आयेगा तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। I am waiting for the reply from the Government. If I do not get the reply on Monday and if Monday is not convenient to you, you can ask for Tuesday. I have no problem.

L.S. Debates dated 10.3.2003

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: I have received a notice of question of privilege dated 27th February 2003, from Shri Lal Muni Chaubey, against the Senior Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing him from attending the sitting of the House.

I have already called for the facts from the State Government of Bihar which are yet to be received. Two reminders have already been issued to them. When you

had raised the matter in the House on 2rd and 6th March, 2003, I had assured you that if facts are not received from the State Government by Monday, I would allow you to raise the matter in the House. You may now raise the matter. The State Government would be requested to expedite the factual report within a week's time failing which, I will consider to refer the matter to the Committee of Privileges for examination, investigation and report.

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, मैं 20 फरवरी को लोक सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए आ रहा था। कैमूर जिले के पुलिस अधिकारियों की मनमानी का शिकार हो जाने के कारण मैं बाबरपुर से हवाई जहाज नहीं पकड़ सका और मैं समय पर दिल्ली नहीं पहुंच सका। मुझे सम्पूर्ण क्रान्ति से दिल्ली आना पड़ा। इसलिए मैं 20 फरवरी को लोक सभा में उपस्थित होने से वंचित रह गया।

महोदय, घटना इस प्रकार है कि मैं कैमूर जिले का रहने वाला हूं। एक सामाजिक दायित्व निर्वाह करने के लिए मैं वहां गया था। उसमें शरीक हो कर मैंने सोचा था कि मैं भभुआ से बाबरपुर पहुंच कर जहाज पकडूंगा। वहां से जहाज 3.00 बजे रवाना होता है। मैंने अपने लिए 10.00 बजे गाड़ी मंगाई थी। मेरे लिए जो युवक गाड़ी लेकर आ रहे थे, उस गाड़ी को चैनपुर थाने के सामने थानेदार की गाड़ी ने रोका और मेरी गाड़ी के आगे अत्यन्त धीमी गति से जीप चलाकर बहुत देर कर दी। जब उन्हें बताया गया कि यह गाड़ी लाल मुनि चौबे, एम.पी. को जहाज पकड़वाने के लिए ले जाई जा रही है, तो थानेदार ने अभद्रतापूर्वक आचरण किया और वह जोर-जोर से बोलने लगा कि चाहे एम.पी. हो या राष्ट्रपति, पुलिस की गाड़ी ऐसे ही चलती है। इस प्रकार से उसने केवल मेरी गाड़ी को ही नहीं रोका बल्कि मुझे लोक सभा में आने से रोका क्योंकि मैं भभुआ से 2.00 बजे के बाद ही निकल सका।

महोदय, मुझे संदेह है कि यह अभद्र व्यवहार कैमूर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी पुलिस अधीक्षक के संकेत पर थानेदार अजय प्रताप सिंह ने किया था जिससे मैं लोक सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका।

महोदय, मैं इस घटना को सम्मानित सदन में उठाने और विशेषाधिकार समिति को सौंपने की आपसे अनुमति चाहता हूं क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझे पुलिस ने सदन में आने से जबरन रोका है।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना 4-5 महीने पुरानी है और मैं आदतन अपनी किसी बात को छुपाता नहीं हूं। भभुआ में एक मीटिंग थी। एक युवक को जो वकील था, घर में घुसते समय मारा गया। वह समता पार्टी का कार्यकर्ता था। बड़ी भारी मीटिंग भभुआ में हुई। उसमें 80-85 हजार आदमी उपस्थित थे।

वहां पर मैंने सीधी-सीधी बात कही कि यहां की पुलिस का रवैया ऐसा है और यहां के प्रशासक ऐसा करते हैं और ऐसे ही विकास हुआ, तो जार्ज साहब आप और नीतीश कुमार जी, ऐसे ही आंकड़े और डाटा लिए गए, तो इस देश का विकास नहीं हो सकता है। मेरी इस बात को सुनकर उपस्थित जनसमूह ने बहुत तालियां बजाई क्योंकि मैंने सच बात कही थी, लेकिन अधिकारियों को बहुत गुस्सा आया। मुझे इसकी चिन्ता नहीं थी। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके क्या परिणाम होंगे। जब यह घटना हुई, तो मुझे मालूम हुआ कि पुलिस द्वारा मेरी कार को एक बार पीछे से धक्का भी मारा गया।

महोदय, मैं 1972 से विधायक था और एक बार के अतिरिक्त कभी नहीं हारा और मैं सदन में हमेशा हाजिर हुआ। मैंने कभी ऐसी चीजों को, जो क्राइम या क्रिमिनलों से संबंधित हों, उनका कभी समर्थन नहीं किया। पुलिस ने मेरी गाड़ी में धक्का मारा। दूसरी बार मुझे थाने बुलाया गया और पूछा गया कि गाड़ी मे काला शीशा क्यों लगा है।

काले शीशों को उतारा जाए। वहां जो लड़के थे उनमें मेरा बेटा भी था। उसने कहा कि सबकी गाड़ी के उतरवा लिए, तो उसने कहा कि सब की गाड़ी के नहीं, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वह तुम करो। तब उसने कहा कि ठीक है मैं उतरवा दूंगा। जब मैंने गाड़ी मांगी तो गाड़ी मांगने पर देर हुई और मैं वहां पटेल चौराहे पर आ गया। मैं देख रहा था कि अगर मेरी गाड़ी नहीं आई तो ट्रेन छूट जाएगी। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आपने घटना सदन में बताई है और मैंने उस पर अपना निर्णय दिया है । अगर एक हफ्ते के अंदर उनका उत्तर नहीं आया तो मैं यह सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज सकता हूं और आप उनके सामने सारी बात रख सकते है।

L.S. Debates dated 13.3.2005

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

MR. SPEAKER: Friends, please listen to me. Today is the last day of the first half of the Budget Session. If the hon. Members want to raise their issues — I have the desire to take up maximum number of issues during 'Zero Hour' — please cooperate with me. Let me call the names of the hon. Members one by one. I do not want to do injustice to anybody, so please cooperate with me. Otherwise, the whole time, nearly 15 to 20 minutes, will be wasted on this, and you will not be able to raise your issues.

I would like to call Shri Chaubey first. I will explain the reason for taking his name first: it is because his notice pertains to the privilege issue. Shri Chaubey, would you like to say something?

...(Interruptions)...

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग खड़े क्यों हो गये हैं? चौबे जी का प्रश्न है, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर)**:** अध्यक्ष जी, मैंने 27 फरवरी को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था। यहां सदन में बताया गया कि सूचना दी गयी है, अभी उत्तर नहीं आया है। दुबारा देने पर भी सूचना नहीं आई है। मैं चाहता हूं कि जो ब्रीच आफ प्रीवलेज हुआ है वह पुलिस के चलते हुआ है । पुलिस के रवैये को सारा सदन जानता है। यह केवल मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई की जाए, जहां कोई सुनने वाला न हो और सदन मांगे कि क्या मामला हुआ है लिखकर दो। इस पर देरी की जाए तो इससे साफ लगता है कि उनकी मंशा क्या है? सदन के मांगने पर भी वे कोई उत्तर नहीं देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी को काल-फोर-नोटिस किया जाए जिसने मेरे साथ ऐसा किया है । मैंने केवल वे सवाल उठाए हैं जो ब्रीच आफ प्रीवलेज से बनते है। लेकिन जो उन्होंने अपशब्द कहे, जिस तरह से प्रताड़ित और अपमानित किया, मुझे सदन में कहने में भी लज्जा आ रही है।

श्री मनोज सिन्हा (गाजीपुर)**:** सर, यह बड़ा गंभीर मामला है। हम आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि इसमें शीघ्र कार्रवाई की जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)**:** सर, एक सांसद के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है? इस विषय में दोषी पर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री शिवाजी माने (हिंगोली)**:** अध्यक्ष महोदय, ऐसे में हमारी कौन बात सुनेगा और हम कहां जाए?

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास आएं। चौबे जी ने मुझे इस बारे में बताया था कि उनका अपमान हुआ। यह एक गम्भीर घटना है। मैंने उस दिन जो स्टेटमैंट सदन में दिया था, मैं वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

It is a very small statement. Shri Lal Muni Chaubey had raised the matter on the 10th of March, 2003. I had observed that if a factual note is not received in a week's time, I would consider to refer the matter to the Committee of Privileges. A week's time will expire on 17th March, 2003. If the factual note is received by that time, I will take a decision in the matter on merits. If the factual note is not received by that time, I will refer the matter to the Committee of Privileges. यह बात आने के बाद मैंने 17 तारीख तक का समय दिया। मैं उस दिन तक रूकूंगा। अगर तब तक कुछ नहीं होगा तो मैं यह मैटर प्रिवलेज कमेटी को भेज दूंगा। प्रिवलेज कमेटी इस बारे में निर्णय ले सकती है।

APPENDIX-III

(Please see para 11 *of Report)*

Subject : Notice of question of privilege dated 27.2.03 given by Shri Lal Muni Chaubey, MP against the Senior Superintendent of Police, Kaimur, Bihar for allegedly obstructing him from attending the sitting of the House.

Lok Sabha Secretariat may please refer to their U.O. No. 4/8/2003/LB-I (Priv.) dated 6.3.03 on the subject noted above.

A copy of the report received from Government of Bihar is enclosed for being placed before the Hon'ble Speaker Lok Sabha.

This issues with the approval of Dy. P.M.

Sd/-
(M.S. ZUHA)
DESK OFFICER

Lok Sabha Secretariat (Sh. V.K. Sharma, Director), Parliament House Annexe, New Delhi.

MHA U.O. No. I/16012/4/2003-IS(V) dated 13.3.03

पत्रांक-1/लो॰स॰ I—30-01/2003 भु॰आ॰-2429

बिहार सरकार

महाआरक्षी (विभाग)

प्रेषक,

श्री रविकान्त,
अपर गृह आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

श्री यू॰ के॰ कालरा,
निदेशक (आाई॰एस॰-II),
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
आई ब्लॉक, नई दिल्ली।

पटना, दि॰ 8/3/03

विषय: **श्री लालमुनी चौबे, सांसद द्वारा विशेषाधिकार के हनन से संबंधित सूचना।**

महाश्य,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय गृह सचिव को सम्बोधित आपके सरकारी पत्र सं. आई/16012/4/2003 आई॰एस॰ IV, दिनांक 03-02-2003 के क्रम में आरक्षी अधीक्षक, कैमूर (भभुआ) से प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि अनुलग्न सहित संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह॰/-
(रविकान्त)
अपर गृह आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-2429 दिनांक: 8/3/03

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित श्री तारादत्त, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/-
(रविकान्त)
अपर गृह आयुक्त, बिहार।

ANNEXURE I TO APPENDIX-IV

(Please see para 12 of Report)

पत्रांक-688 / गो॰

आरक्षी अधीक्षक का कार्यालय, कैमूर, भभुआ

दिनांक-8-3-2003

सेवा में,

श्री रविकान्त,
अवर गृह आयुक्त सह विशेष सचिव,
बिहार, पटना।

प्रसंग: आपका पत्र संख्या-1/लो॰स॰ 1-30-01/2003-2351 दिनांक-7-3-03

विषय: श्री लालमुनी चौबे सांसद द्वारा विशेषाधिकार के हनन से संबंधित सूचना।

महाशय,

उपरोक्त संबंध में आपका पत्र दिनांक 7-3-2003 को एवं अनुलग्नक आज दिनांक—8-3-2003 को प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त संबंध में प्रतिवेदन निम्नवत है—

मैं कैमूर जिला में आरक्षी अधीक्षक के पद पर दिनांक-30-8-2002 से पदस्थापित हूं। मुझे माननीय सांसद श्री लालमुनी चौबे जी के अपने गृह जिला कैमूर को भ्रमण अथवा आगमन एवं प्रस्थान की कोई जानकारी नहीं थी। मैं नोटिस में वर्णित तिथि 20 फरवरी 2003 को भभुआ जिले में ही था तथा मेरे द्वारा 20 फरवरी को भभुआ मुख्यालय में ही रहकर भभुआ थाने का निरीक्षण भी किया गया था, परन्तु इस संबंध में कोई भी जानकारी 20 फरवरी को मुझे नहीं थी और न ही मुझे बताई गई।

माननीय सांसद श्री लाल मुनी चौबे जी ने मुझसे वार्त्तां सम्भवत: 25 फरवरी को कर उपरोक्त संबंध में बताया था। मैंने तत्काल ही थाने पर उपस्थित पदाधिकारियों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया था। उक्त थाना (चैनपुर) के थाना प्रभारी अ॰नि॰ अजय प्रसाद को उग्रवादी तत्वों के विरुद्ध छापामारी करने हेतु पूर्व से ही कैमूर जिला के पहाड़ी भाग (अधोरा थाना) में छापामारी हेतु भेजा गया था अत: जो भी जानकारी प्राप्त हुई थी उससे अगले दिन माननीय सांसद को अवगत भी कराया गया था। माननीय सांसद महोदय ने अपने नोटिस पत्र में अंकित किया है कि मुझे संदेह है कि यह अभद्र व्यवहार कैमूर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी अधीक्षक के संकेत पर किया गया है, पूर्णत: निराधार भ्रामक एवं तथ्यहीन है। मैंने कभी भी चैनपुर थाना या जिला के किसी अन्य थाना के पदाधिकारियों को किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने का संकेत नहीं दिया है। मेरी कभी भी माननीय सांसद के प्रति कोई भी अनुचित मंशा नहीं रही है, वरन् सदैव यथोचित सम्मान की रही है।

अत: उपरोक्त नोटिस निरस्त करने का आग्रह किया जाता है। थाना प्रभारी का उपरोक्त संबंध में विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुलग्नक-1 में संलग्न अनु॰ यथोपरि।

ह॰/
विश्वास भाजन,
8-3-2003
जे.एस. गंगवार

ANNEXURE II TO APPENDIX - III

(Please see para 13 of Report)

सेवा में,

श्रीमान् आरक्षी अधीक्षक,
कैमूर (भभुआ)।

प्रसंग: आपका ज्ञापार्क-687/गो॰ दिनांक 08/03/2003

विषय: माननीय सांसद श्री लालमुनी चौबे जी के द्वारा दायर विशेषाधिकार हनन के मामले के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सादार सूचित करना है कि दिनांक 20/02/2003 को मैं थाना प्रभारी अ॰नि॰अजय प्रसाद साथ स॰अ॰नि॰ निसार खां, स॰अ॰नि॰ रामलखन सिंह एवं आ॰-110 जनेश्वर राम के पुलिस जीप में भभुआ के लिए 12-30 बजे थाना दैनिकी सनहा संख्या-344/2003 के अनुसार प्रस्थान किये थे। थाना से करीब 5 कि॰ मी॰ आगे बढ़ने पर ग्राम केश एवं तेतरी के बीच एक सुमो गाड़ी पिछे से आयी और चालक ने पास देने का इशारा किया परन्तु कुछ दिन पूर्व वर्षा होने के कारण पक्की सड़क के दोनों तरफ ताजी मिट्टी डाले जाने के कारण कीचड़ हो गया था। पक्की सड़क भी सिंगल एवं क्षतिग्रस्त है जिस कारण उन्हें तुरंत पास दिया जाना संभव नहीं था आगे करीब 100 गज पर रास्ता मिलने पर पास दिया गया तथा सुमो गाड़ी आगे निकल गयी। और भी अनेकों गाड़ियां आगे निकली। मैं भभुआ स्थित जय प्रकाश चौक पर पहुंचा तो उपर्युक्त सुमो गाड़ी को खड़ी देख मेरे थाना की जीप पहुंचने पर उपर्युक्त सुमो गाड़ी से उतरकर चार आदमी जिसमें माननीय सांसद श्री लालमुनी चौबे जी का लड़का श्री हेमन्त चौबे थाना की पुलिस जीप को रोकने का इशारा किया तो मैंने गाड़ी रोक दी। मेरी गाड़ी रुकते ही माननीय सांसद श्री लाल मुनी चौबे जी के पुत्र श्री हेमन्त चौबे धमकी दिए और कहे कि मैं माननीय सांसद श्री लाल मुनी चौबे जी का पुत्र हूं आप सबों को ठीक कर दूंगा। मैं उसी दिन थाना 16.30 बजे लौटा तथा उपर्युक्त से संबंधित संख्या-349 दर्ज किया जो निम्न प्रकार है:—

"मैं थाना प्रभारी अजय प्रसाद साथ स॰अ॰नि॰ निसार बॉ, स॰अ॰नि॰ रामलखन सिंह आरक्षी 110 जनेश्वर राम के साथ थाना वापस आया और डायरी का चार्ज ग्रहण किया। यह उल्लेखनीय है कि ममुजा जय प्रकाश चौक पर लौटते समय दो चार आदमी गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी रोका गया तो उसमें हेमन्त चौबे जो माननीय सांसद श्री लाल मुनी चौबे के पुत्र हैं कहने लगे कि इस गाड़ी में निसार खॉ कौन है जो मेरे गाड़ी का काला शीशा उतारने के लिए बोला। मैं उसको बरबाद कर दूंगा तथा अनाप-शनाप कहने लगे। साथ-साथ वे लोग मार पीट करने का भी धमकी दिये। मैं बोला की बात क्या है उसपर उन्होंने कहा कि तुमसे क्या बात करूंगा में सांसद का बेटा हूं तथा बात एस॰पी॰ से नीचे नहीं करता हूं। इस तरह अनाप-शनाप बकते हुए चले गये। तनहा दर्ज किया"।

जहां तक माननीय सांसद श्री लालमुनी चौबे जी के पुत्र श्री हेमन्त चौबे की सुमो गाड़ी को दो घंटा तक पास नहीं देने के चलते हुए विलम्ब का प्रश्न है उल्लेख करना है कि चैनपुर थाना से भभुआ की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है तथा सड़क पक्की है। श्री हेमंत चौबे ने जहां पर पास मांगा था वहां से

भभुआ की दूरी करीब 5 किलो मीटर है। रास्ता खराब होने के कारण मात्र 100 गज तक उनकी गाड़ी को पास नहीं दिया जा सका था। वैसे भी 5 किलो मिटर की दूरी कितनी ही कम रफ्तार से तय करने पर दो घंटे नहीं लगेंगे। ऐसी परिस्थिति में माननीय सांसद द्वारा लगाया गया आरोप तथ्य से परे है। जहां तक माननीय सांसद महोदय के भभुआ ठहरने एवं वहां से जहाज पकड़कर दिल्ली जाने की बात है इसकी जानकारी न तो मुझे पहले से थी और न उनके पुत्र श्री हेमन्त चौबे ने मुझसे बताया था। उन्होंने स्वंय जय प्रकाश चौक पर गाड़ी रोककर मेरी भभुआ आने की प्रतीक्ष किया तथा आने पर अभद्र व्यवहार किया जिस संबंध में मेरे द्वारा उपर अंकित सनहा दर्ज किया गया है।

विश्वास भाजन,

ह०/-
(अजय प्रसाद)
थाना प्रभारी, चैनपुर थाना।

APPENDIX-IV

(Please see para 14 of Report)

लालमुनी चौबे
संसद सदस्य
(लोक सभा)

एम.एस. फ्लैट्स,
बी.के.एस. मार्ग,
नई दिल्ली।
24.4.2003

अध्यक्ष महोदय,
लोक सभा।

अपने विशेषाधिकार हनन के नोटिस में मैने जो शिकायतें की थीं उन्हें तथ्य रूप में क्रमवार इस प्रकार रखा जा सकता है।

1. मुझे 20 फरवरी को बावतपुर हवाई अड्डे से जहाज पकड़कर लोक सभा की कार्यवाही में शामिल होना था।

2. यात्रा कार्यक्रम के तहत मैंने दस बजे गाड़ी मंगायी थी।

3. अगर मेरी गाड़ी रोकी नहीं गई होती तो में बावतपुर समय से पहुंचकर जहाज पकड़ सकता था।

4. मेरी गाड़ी को पुलिस की जीप ने रास्ता नहीं दिया और शरारतपूर्ण रवैया अपनाकर करीब दो घंटे से ज्यादा देर करा दी।

इन तथ्यों के आधार पर मैंने शिकायत की थी। यह स्पष्ट है कि पुलिस के मनमाने व्यवहार और शरारतपूर्ण रवैये से मैं सदन में समय पर उपस्थित नहीं हो सका। मुझे अगले दिन ट्रेन से आना पड़ा। पुलिस के अधिकारियों के बयानों पर मुझे यह कहना है कि वे अपनी की गई मनमानी और शरारतपूर्ण हरकतों पर लीपापोती कर रहे हैं।

मुझे जो जवाब [एम.एच.ए. यू.ओ. न°. 1/16012/4/2003–टी एस (वी) दिनांक 13.3.2003] गृह मंत्रालय के मार्फत 13.3.2003 को मिला है उसमें जे.एम. गंगवार आरक्षी अधीक्षक कैमूर ने माना है कि वे 20 फरवरी को भभुआ जिले में ही थे। यह भी माना है कि उन्होंने भभुआ थाने का निरीक्षण किया।

APPENDIX-V

(Please see para 21 of Report)

लालमुनी चौबे
संसद सदस्य
(लोक सभा)

एम.एस. फ्लैट्स,
नई दिल्ली।
दिनांक 9 सितम्बर, 2004

माननीय अध्यक्ष जी,
लोक सभा,
नई दिल्ली।

महोदय,

मैंने पिछली लोक सभा में दिनांक 27.02.2003 को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी (सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है)। लोक सभा अध्यक्ष ने इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था। समिति के समक्ष मेरा साक्षात्कार भी हुआ और आरोपी पुलिस अधिकारियों की भी गवाही हुई थी। इस बीच लोक सभा भंग हो गई।

इस पत्र के द्वारा मैं उस सूचना को पुनः विशेषाधिकार समिति से जांच का आग्रह करता हूं। जिससे सम्बन्धित अधिकारियों को समुचित दंड मिले और मुझे अपने संसदीय दायित्व निर्वाह में अड़चन नहीं आए। इस संबंध में अधिकारी यह समझ रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और वे अपनी मनमानी करते रहेंगे। सांसदों और संसद की अवमानना खुले तौर पर करते रहेंगे।

सादर,

आपका,

ह०/
(लालमुनी चौबे)

MGIPMRND—204LS(S-4)—-04-05-2006.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002.